RKSK
Rashtriya Kishor Swasthya Karyakram
राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

परिचालन रूपरेखा

10 से 19 वर्ष के किशोर व किशोरियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिशा–निर्देश पुस्तिका

किशोर स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा
जनवरी 2014

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

RKSK
Rashtriya Kishor
Swasthya Karyakram
राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम

परिचालन रूपरेखा

10 से 19 वर्ष के किशोर व किशोरियों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए दिशा–निर्देश पुस्तिका

किशोर स्वास्थ्य विभाग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा
जनवरी 2014

विषय सूची

अध्याय 1 परिचय.....02

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य रणनीति की प्रमुख विशेषताएं

किशोर: एक अवसर और एक चुनौती

सात सी और छ:ह प्राथमिकता वाले क्षेत्र

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.के.एस.के.)

परिचालन रूपरेखा का उद्देश्य और ढाँचा

अध्याय 2 कार्यक्रम की रूपरेखा.....05

हितधारक समूह

उद्देश्य

पौषण बढ़ाना

यौन और प्रजनन स्वास्थ्य को सक्षम बनाना

मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाना

क्षतियों और हिंसा की रोकथाम

नशावृति की रोकथाम

गैर संचारी रोगों की रोकथाम

रणनीतियाँ

संस्थागत व्यवस्था

अध्याय 3 उद्देश्य प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा?.....09

अध्याय 4 पियर शिक्षण के लिए दिशा निर्देश.....15

अध्याय 5 किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनीक के लिए दिशा निर्देश.....42

अध्याय 6 किशोर स्वास्थ्य दिवस के लिए दिशा निर्देश.....62

1 परिचय

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य रणनीति की प्रमुख विशेषताएं: –

किशोरावस्था: एक अवसर और एक चुनौती

किशोर (10 – 19 वर्ष) भारत की आबादी का पाँचवा हिस्सा है, और एक तिहाई आबादी युवा लोगों की है। यह एक बड़े अवसर का प्रतिनिधित्व करते हैं। जिसके द्वारा इस देश का सामाजिक और आर्थिक भाग्य बदल सकते हैं। किशोरों और युवाओं की विशाल संख्या को ध्यान में रखते हुए भारत देश को यह सुनिशिचत करना होगा कि वह जीवंत और रचनात्मक शक्ति बनकर सत्त और समावेशी विकास में योगदान कर सकें।

किशोरों की क्षमता को पूरा सक्षम बनाने के लिए किशोरों की शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास और दूसरे क्षेत्रों में पर्याप्त निवेश करना आवश्यक है। हरियाणा राज्य में किशोरों की सख्या लगभग 55 लाख है। किशोरों में निवेश करने से हरियाणा प्रदेश के स्वास्थ्य लक्ष्यों पर और सहस्राब्दि विकास लक्ष्यों को पूरा करने में (मिलीनियम विकास लक्षयों) तत्काल, प्रत्यक्ष और सकारात्मक प्रभाव पडेगा। साथ ही, इससे आर्थिक उत्पादकता बढ़ेगी, सामाजिक कामकाज प्रभावी होगा और कुल जनसख्या विकास में वृद्वि होगी। किन्तु कई तरह के कारणों की वजह से जैसे की संरचनात्मक गरीबी, सामाजिक भेदभाव, नकारात्मक सामाजिक मापदन्डों, अपर्याप्त शिक्षा और जल्दी शादी और बच्चे पैदा होने के कारण काफी किशोरों को उनके स्वास्थ्य के विकास में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। विशेष रूप से निचले वर्ग की आबादी के किशोरों में।

किशोरों के स्वास्थ्य और विकास सम्बंधी आवश्यकताओं की तरफ ध्यान केंद्रित करने हेतु यह अनिवार्य है कि किशोरावस्था को जीवन अवधि की समाज शास्त्रीय, सांस्कृतिक और आर्थिक सच्चाईयों को सामने रखें।

स्वास्थ्य विभाग की प्रतिक्रिया: एक प्रतिमान बदलाव

किशोरों की स्वास्थ्य और विकास संमबधी जरूरतों को समग्र रूप से नज़र में रखते हुए भारत सरकार द्वारा विकसित की गई व्यापक रणनीति जोकि भागीदारी के सिद्वांतों, अधिकारों, लैंगिक समानता और रणनीतिक साझेदारी पर निर्धादित है, को हरियाणा राज्य में लागू करने की योजना बनाई गई है।

यह रणनीति इस कल्पना पर निर्धारित है कि हरियाणा राज्य के सभी किशोर अपने स्वास्थ और कल्याण से सूचित और जिम्मेदार निर्णयों के द्वारा अपनी पूर्ण क्षमता और योग्यता को उभार सकें।

इस सोच को लागू करने के लिए सभी विभागों जैसे की स्वास्थ, शिक्षा, महिला और बाल विकास, और श्रम (लेबर) तथा किशोरों के स्वयं के परिवारों और समुदाय को सम्मिलित करने के प्रयासों की आवश्यकता है।

यह रणनीति एक बदलाव है जो कि मौजूदा क्लीनिक पर आधारित दृष्टिकोण की बजाय एक समग्र माडल की ओर केंद्रित है। यह रणनीति समुदाय आधारित स्वास्थ्य संवर्धन पर केंद्रित है जिसके द्वारा निवारक, निदान और उपचारात्मक सेवाओं को मज़बूत बनाया जा सके। इस रणनीति का प्रस्तावित दृष्टिकोण, किशोर स्वास्थ्य और विकास की आवश्यकतों के लिए लगातार सेवाएं प्रदान करना है। इसमें सम्मलित है जानकारी, वस्तुओं का और सेवाओं का समुदाय स्तर तक प्रावधान व तीन स्तरीय लोक स्वास्थ्य प्रणाली द्वारा रैफरल के लिंकेज भी बनाना। इस रणनीति के द्वारा किशोरों और क्षेत्र सेवा प्रदाताओं (जैसे की अध्यापक, मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता - आशा, ए.एन.एम, आंगवाड़ी कार्यकत्ता और नेहरू युवा केन्द्र संगठडो के स्वंय सेवक) का संलग्न होगा ताकि किशोरों तक सेवाएं पहुँच सके।

कार्यान्वयनः सात सी.(7Cs) और छह प्राथमिकता वाले क्षेत्र

इस रणनीति को लागू करने के लिए सात महत्वपूर्ण घटकों की पहचान की गई है। सात सी (7Cs) इन घटकों को सभी क्रार्यकम क्षेत्रों पर लागू करना सुनिश्चित किया जाना है। यह घटक इस प्रकार से है: कवरेज (7Cs-Coverage), सामग्री (Content), समुदाय (Communities), क्लिनिक (Clinics-Health Facilities), परामर्श (Counseling), संचार और अन्तर विभागी ताल मेल (Communication and Convergence).

किशोरों के स्वास्थ्य के छह प्राथमिक क्षेत्र है। पौषण (Nutrition), यौन और प्रजन्न स्वास्थ्य (Sexual & Reproductive Health (SRH)), अंसक्रमक बिमारियों (Non Communicable Diseases (NCDs)), नशावृति (Substance Misuse), क्षति और हिंसा (Injuries and Violence), लिंग आधारित हिंसा (gender based violence) और मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health) इसमें शामिल है।.

इस परिचालन रुपरेखा के लक्षित समूह (और उनकी भूमिका) में निम्नलिखित शामिल हैं: -

क. राज्य स्तरीय स्वास्थ्य कार्यक्रम मिशन निदेशक की जिम्मेदारियां: -

* यह सुनिश्चित करें कि किशोर स्वास्थ्य को जरुरी महत्व मिले, रणनीतिक दिशा प्रदान करें।
* राज्य के एन एच एम बजट में किशोर स्वास्थ्य के घटक को संगठित करें।
* किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए आवश्यक स्टाफ की भर्ती के लिए प्रणाली स्थापित करें।
* किशोर स्वास्थ्य उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए भागी सहयोगियों के प्रयासों को एकीकृत करे।
* अभिसरण के पहलुओं को दिशा प्रदान करें।
* किशोर रणनीति और परिचालन दिशा निर्देशों पर आधाारित राज्य विशिष्ट मानक संचालन प्रकियाओं (Standard

Operating Procedures) को बनाने की तैयारियों की देख – रेख करे।

* किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की प्रगति को पीआईपी (PIP) में दिए गए लक्ष्यों के आधाार पर मानिटरिंग करें।

ख. राज्य जिला नोडल अधिाकारियों की जिम्मेदारियां: –

* किशोर स्वास्थ्य का राज्य/जिला का पीआईपी (PIP) तैयार करना।
* राज्य/जिला के बजट (PIP) में किशोर स्वास्थ्य के घटक को संगठित करना।
* किशोर रणनीति और परिचालन दिशा निर्देशों पर आधाारित राज्य विशिष्ट मानक संचालन प्रक्रियों (Standard Operating Procedures) को बनाना।
* किशोर स्वास्थ्य रणनीति और गतिविधियों को पी आई पी (PIP) के अनुसार लागू करना।
* किशोर स्वास्थ्य की मासिक रिपोर्ट को तैयार करना।
* किशोर स्वास्थ्य की रिपोर्ट को मिशन निदेशक को व भारत सरकार के पास जमा करवाना।
* किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम की नियमित मॉनीटरिंग व सहायक पर्यवेक्षण करना (Supportive Supervision)।

ग. . राज्य और जिला कार्यक्रम प्रबंधक

* किशोर स्वास्थ्य की पी आई पी को बनाने में देख – रेख करना।
* नियमित मॉनीटरिंग व सहायक पर्यवेक्षण करना।

2 कार्यक्रम सम्बंधी रूपरेखा

लक्षित समूह (Target Group)

यह किशोर रणनीति 10 से 14 वर्ष और 15 से 19 वर्ष के किशोरों की सार्वभौमिक कवरेज यानि की परूष और महिलाओं; शहरी और ग्रामीण, स्कूल में जाने वाले और स्कूल न जाने वाले किशोर; विवाहित और अविवाहित और कमजोर वर्ग के किशोर शामिल है।

उदेश्य

इस रणनीति के मुख्य उद्देश्य हैं: –

पोषण बढ़ाना (Improve Nutrition): –

- किशोर लड़के व लड़कियों में कुपोषण की व्यापकता को कम करना
- किशोर लड़के व लड़कियों में लोहे की कमी से होने वाले अनीमिया की व्यापकता को कम करना

यौन प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य को सक्षम बनाना (Enhance Sexual & Reproductive Health): –

- यौन और प्रजन्न स्वास्थ्य के संदर्भ में ज्ञान, दृष्टिकोण और व्यवहार में सुधार
- किशोर गर्भधारण को कम करना
- किशोर माता – पिता को जन्म की तैयारियों, जटिलता तत्परता में सुधार और मातृत्वि में सर्मथन प्रदान करना

मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ाना (Enhance Mental Health): –

- किशोरों की मानसिक स्वास्थ्य संबधित चिंताओं को नियंत्रण करना

किशोरों में क्षति और हिंसा की रोकथाम (Prevent Injuries and Voilence): –

- किशोरों में क्षति और हिंसा को रोकने के लिए अनुकूल दृष्टिकोण को बढावा देना (इसमें लिंग आधारित हिंसा की रोकथाम भी शामिल हैं)

नशावृति की रोकथाम (Prevent Substance Abuse): –

- **किशोरों में नशावृति के प्रतिकूल प्रभाव और परिणामों के बारे में जागरूकता बढ़ाना**

गैर संचारी रोगों की रोकथाम (Prevent Non Communicable Diseases): –

- **गैर संचारी रोगों (जैसे की घात, हृदय रोग, मधुमय और उच्च रक्तचाप) की रोकथाम के लिए व्यवहार परिवर्तन लाना**

उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीति निम्न प्रकार से है:

किशोर स्वास्थ्य के लिए समर्पित: –

क समुदाय आधारित व्यवधान (Community based Intervention)

- पीयर एजुकेशन (Peer Education)
- तिमाही किशोर स्वास्थ्य दिवस (Adolescent Health Day)
- साप्तहिक आयरन और फोलिक ऐसिड पूरक कार्यक्रम (WIFS)
- माहवारी स्वच्छता स्कीम (Menstrual Hygiene Scheme)

ख समुदाय आधारित व्यवधान के – किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक को प्रबल करना (Community based Intervention)-Stregthening of Adolescent Friendly Health (AFH)

- किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिक (Adolescent Friendly Health Clinic)

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के अंतर्गत अभिसरण (Convergence):

- **परिवार नियोजन, मातृत्व स्वास्थ्य, आर.बी.एस.के., एड्स रोकथाम कार्यक्रम, तम्बाकू रोकथाम कार्यक्रम, मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, गैर संचारी रोगों की रोकथाम का कार्यक्रम व आई.ई.सी. (Family Planning, Maternal Health, RBSK, AIDS Control Programme, Tobacco Control Programme, Mental Health Programme, Prevention of NCDs and IEC).**

संस्थागत व्यवस्था: –

- **किशोर स्वास्थ्य की राज्य समिति (State Committee for Adolescent Health - SCAH): –** हरियाणा राज्य स्तर पर किशोर स्वास्थ्य की समिति बनाई जाएगी जोकि दूसरे विभागों से अभिसरण करने के प्रयासों की देखरेख करेगी और कार्यान्वयन के मुद्दों को सुलझाएगी। इस समिति की अध्यक्षता प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा (Principal Secretary, Health, Haryana) द्वारा की जाएगी। जिसमें हरियाणा के निम्नलिखित

अधिकारी सदस्य होंगे: –

मिशन निदेशक (NHM), महानिदेशक (Health Services), महानिदेशक (WCD), महानिदेशक (AYUSH), निदेशक (BCC), निदेशक (Education), निदेशक (Sports), निदेशक (पंचायती राज), निदेशक (किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम), निदेशक (स्टेट एडस कंट्रोल सोसायटी), उप निदेशक (किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम)। इस समीति की बैठक वर्ष में दो बार होगी। उप निदेशक (किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम) इस समीति की सदस्य (Member Secretary) सचिव होंगे।

- **किशोर स्वास्थ्य की कार्यकारिणी समीति (Working Committee for Adolescent Health - WCAH): –** यह समीति भी दूसरे विभागों से अभिसरण करने के प्रयासों की देखरेख करेगी। इसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, हरियाणा के मिशन निदेशक करेंगे। इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे: –

  निदेशक (Adolescent Health), उप निदेशक (WCD, Sports, Education, Panchayati Raj, PR, AYUSH, Adolescent Health, Family Planning, NCD, Community Process. इस समीति की बैठक वर्ष में चार बार होगी। उप निदेशक (किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम) इस समीति की सदस्य (Member Secretary) सचिव होंगे।

- **किशोर स्वास्थ्य की ज़िला समीति (District Committee for Adolescent Health - DCAH): –** मौजूदा वीफस की जिला समीति को विस्तृत किया जाएगा ताकि किशोर स्वास्थ्य से सम्बंधित मुद्दो को भी सम्मिलित किया जा सके। इसकी अध्यक्षता जिला उपायुक्त करेंगे। इसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे: –

  सिविल सर्जन, उप सिविल सर्जन (Adolescent Health), DEO, DEEO, PO ICDS, District Sports & Youth Officer, AIDS, Family Planning, NCD, District Development & Panchyat Officer, District Adolescent Health Officer, District ASHA Coordinator, Director Public Relation Officer, District AYUSH Officer. इस समीति की बैठक हर तिमाही होगी।

- **गाँव स्वास्थ्य, पोषण और सफाई समीति (Village Health, Nutrition and Sanitation Committee): –** इस समिति की सदस्यता को बढ़ाया जा सकता है ताकि इसमें अध्यापकों, (एक महिला अध्यापक बेहतर रहेगी), और पीयर एजुकटर/मेंटरस। इस सीमित की कार्य योजना में किशोर स्वास्थ्य संवर्धन गतिविधियां शामिल की जा सकती हैं। जैसे कि किशोर स्वास्थ्य मेला। यह समितियाँ किशोरों को सेवाएं लेने के लिए सुरक्षित स्थान प्रदान करने में निर्णायक सिद्व हो सकती हैं।

3 राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा?

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करना होगा?

उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए रणनीतियों को निम्नलिखित समूह में दर्शाया जा सकता है:

★ **किशोर स्वास्थ्य (AH) विभाग के सीधे दायरे में:** समुदाय पर आधारित (पियर एजुकेटर, किशोर स्वास्थ्य दिवस, साप्ताहिक आयरन फोलिक ऐसीड पूरक कार्यक्रम, माहवारी स्वच्छता स्कीम) और स्वास्थ्य केन्द्रों पर आधारित (किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक और परामर्शदाता) और संचार जिसमें शामिल है – किशोर हेन्पलाईन।

★ स्वास्थ्य विभाग के कार्यक्रमों से तालमेल परिवार नियोजन, मातृत्व स्वास्थ्य (वी.एच.एन.डी. (VHND) भी शामिल है) राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम, राष्ट्रीय एड्स रोकथाम कार्यक्रम, राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, गैर संचारी रोग, आई.ई.सी. (IEC) विभाग।

★ **अंतर विभागय तालमेल:** महिला एव बाल विकास विभाग, शिक्षा विभाग, खेल विभाग, मीडिया।

पियर एजुकेशन (Peer Education)

पियर एजुकेशन कार्यक्रम का उद्देश्य है कि किशोरों और युवाओं जो 10 – 19 वर्ष की आयु में हैं, वह नियमित और निरंतर पियर एजुकेशन कार्यक्रम से लाभ उठा सकें । इस कार्यक्रम में शामिल मुख्य मुद्दे हैं – पौषण, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, असंक्रामक बिमारियों, लिंग आधारित हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य। इस कार्यक्रम के द्वारा अंत में यह उम्मीद की जाती है कि इससे किशोरों के जीवन कौशल, ज्ञान और योग्यता में सुधार लाया जा सकता है

ग्रामीण स्तर पर पियर एजुकेटर कार्यक्रम के मुख्य विशेषताओं में निम्नलिखित शामिल है: –

★ यह आशा की जाती है कि प्रत्येक गाँव में 1000 की जनसंख्या पर 4 पियर एजुकेटर (दो लड़के व दो लड़कियों) का चयन किया जाएगा। 2 स्कूल जाने वाले और 2 स्कूल न जाने वाले।

★ प्रत्येक पियर एजुकेटर से उम्मीद की जाएगी कि: –

- ★ 15 – 20 लड़कों और लड़कियों का समूह बनाना होगा और प्रति सप्ताह एक या दो सम्मिलित स्तर लेने होंगे जिसमें शामिल होगी किताबें और किशोरों के लिए खेल।
- ★ किशोर स्वास्थ्य दिवस में भाग लेना और युवा लोगों को और उनके माता – पिता को इसके बारे में बताना और जागरूक करना।

★ किशोर को रैफर करना: - 1) किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक और किशोर हैल्पलाईन और 2) किशोर स्वास्थ्य दिवस पर स्वास्थ्य जाँच के लिए प्रोत्साहित करना।

★ पियर एजुकेटरों से यह भी आशा की जाती है कि वह एक डायरी बनाये जिसमें उनके द्वारा की गई बैठकों को और उनमें हिस्सा लेने वाले किशोरों की संख्या दर्ज करे। प्रत्येक माह के अंत में पियर एजुकेटरों को एक सयुंक्त रिपोर्ट तैयार करनी होगी।

किशोर स्वास्थ्य दिवस (Adolescent Health Day)

★ किशोर स्वास्थ्य दिवस किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए एक अहम रणनीति है।

★ किशोर स्वास्थ्य दिवस प्रत्येक गाँव में हर तिमाही लगाया जाएगा (रविवार के दिन कर सकते हैं) वी.एच.एन.डी के उपरान्त; सबला ज़िलों में यह दिवस किशोरी दिवस के साथ मनाया जा सकता है । यह आंगनवाड़ी केन्द्रों और समुदाय स्थानों पर भी आयोजित किया जा सकता है। किशोर स्वास्थ्य दिवस पर किशोरों के लक्षित समूहों (स्त्री/पुरूष; 10 - 14 और 15 - 19 आयु, स्कूल जाने वाले, स्कूल न जाने वाले और वैवाहिक किशोर) इस दिवस में माता - पिता, अध्यापकों और पी.आर.आई (PRIs) के सदस्यों को किशोर स्वास्थ्य की आवश्यकताओं के बारे में संवेदनशील बनाने का भी प्रयास किया जा सकता है।

किशोर स्वास्थ्य दिवस को लागू करने की विस्तृत दिशा – निर्देश अधयाय – 5 में दिये गए है

किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक (Adolescent Friendly Health Clinic)

पीयर एजुकेशन कार्यक्रम अथवा किशोर स्वास्थ्य दिवस के द्वारा किशोरों को किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक में रैफर किया जाएगा, जहाँ पर सामग्री, आई.ई.सी और उपचारात्मक सेवाओं को **PHC, CHC** और **DH** स्तर पर प्रदान किया जाएगा व आऊटरीच और रैफरल सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी।

सामग्री (Commodities)

★ साप्ताहिक आयरन फोलिक एसीड पूरक गोलियां और एलबेंडाजोल

★ सेनीटरी नेपकिन (Sanitary Napkins)

★ गर्भ निरोधक दवाईयां

जानकारी (Information)

(आई.ई.सी (IEC) और आई.पी.सी (IPC) यानि सूचना शिक्षा और संचार और अंतर व्यक्तिगत संचार)

★ पौषण, माहवारी संबधति समस्याएं, व्यक्तिगत स्वच्छता, माहवारी स्वच्छता, सेनेटरी नेपकिन का प्रयोग, गर्भ निरोधकों का प्रयोग, यौन चिंताएं, उदासीनता, यौन शोषण, लिंगं आधारित हिंसा, नशावृति और गैर संचारी बिमारियों की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य व्यवहार को बढ़ावा देना

★ पोस्टरस/पुस्तिकाएं/पेंमफलेटज़, दीवार लेखन और दृश्य

उपचारात्मक सेवाएं (Services)

★ गंभीर कुपोषण का उपचार

★ सामान्य आर.टी.आई/एस.टी.आई समस्याओं का उपचार

★ माहवारी समस्याओं का उपचार

- ★ स्त्री और पुरूष के यौन समस्याओं का उपचार
- ★ उदासीनता की रोकथाम /मानसिक स्वास्थ्य सेवाएँ
- ★ गैर संचारी बिमारियों और सामान्य बीमारियों का उपचार
- ★ दुर्घटना और हिंसा संबंधित क्षतियों की रोकथाम
- ★ युवतियों में यौन शोषण की रोकथाम
- ★ नशावृति की रोकथाम
- ★ गैर संचारी रोगों जैसे की घात, हृदय रोग, मधुमय उच्च रक्तचाप इत्यादि।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, सब – डिविजन अस्पतालों और ज़िला अस्पतालों में परार्मशदाता की नियुक्ति।

किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक को स्थापित करने का दिशा निर्देश अध्याय – 6 में दर्शाए गए हैं।

किशोर हैल्पलाईन (Adolescent Helpline)

किशोरों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य द्वारा किशोर हैल्पलाईन स्थापित की गई है। हैल्पलाईन नं 8288014141 प्रत्येक कार्य दिवस पर कार्यलय के समयानुसार (सुबह 9 से सायं 5 बजे तक) चालू रहेगी।

प्रशिक्षण की अवधि

प्रशिक्षण	उच्च राज्य /ज़िला / ब्लाक स्तर पर	प्रदाताओं का प्रशिक्षण
आयूष डाक्टर /डेन्टल सर्जन /एम.ओ.	3 दिन	तीन दिन
परामर्शदाता (Counselor)	6 दिन	दो दिन
पियर एजुकेटर	6 दिन	तीन दिन

* सभी स्वास्थ्य केन्द्रों (CHC, PHC) पर पियर एजुकेटरों का प्रशिक्षण आयुष डाक्टर करेंगे।
* जहां आयुष डाक्टर नहीं होंगे वहां यह प्रशिक्षण डेन्टल सर्जन द्वारा दिया जाएगा। जहां आयुष डाक्टर /डेन्टल सर्जन दोनों उपलब्ध नहीं होंगे, वहां प्रशिक्षण एमओ द्वारा दिया जाएगा
* जहां इन तीनों में से काई भी उपलब्ध नहीं होगा वहां यह प्रशिक्षण एएनएम द्वारा दिया जाएगा।

प्रशिक्षण: –

- ★ राज्य स्तर पर निम्नलिखित अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा: –

Dy. CMO, Distt. Adolescent Health Officer, Ayush Doctor (4), Distt. Elementary Education Officer, Distt. Education Officer, Distt. Sports & Youth

Officer and PO (ICDS). यें प्रशिक्षित अधिकारी जिला स्तर के प्रशिक्षण के Master Trainer होंगे।

★ जिला स्तर पर निम्नलिखित अधिकारियों को प्रशिक्षण Master Trainers द्वारा दिया जाएगा: -

Counselor (Adolescent Health), Ayush Doctor/Dental Surgeon/Medical Officer (जो भी CHC/PHC पर किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का नोडल अफसर होगा), BEO, BEEO, CDPO (ICDS), Block Panchayti Raj Officer, Block ASHA Coordinator, जिला अस्पताल के कार्यकर्त्ता - एम.ओ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, एस.टी.आई. विशेषज्ञ, मानसिक रोग विशेषज्ञ, स्टाफ नर्स।

★ PHC स्तर पर निम्नलिखित अधिकारियों को 3 दिन का प्रशिक्षण Ayush Doctor/Dental Surgeon/Medical Officer द्वारा दिया जाएगा: - ANMs/LHV, ASHA Workers, ASHA Facilitator, Supervisors of WCD. Head Master of Elementary Schools (Class 6-8), Principal/Nodal Teacher for Adolescent Health (Class 6-12) of Sr. Sec. School को 1 दिन का प्रशिक्षण दिया जाएगा।

★ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ताओं का प्रशिक्षण उनकी मासिक बैठक में प्रशिक्षिति सुपरवाईज़र द्वारा प्रदान किया जाएगाा।

★ PHC के प्रशिक्षण के दिन ही CHC के स्वास्थ्य अधिकारियों का भी प्रशिक्षण होगा।

★ पियर एजुकेटरों का प्रशिक्षण मौजूदा व्यवस्था द्वारा ही दिया जाएगा यानि कि आयुष डाक्टर या डैटल सर्जन के द्वारा।

किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक

परिचय

कई अनुसंधानों ने यह दर्शाया है कि किशोर स्वास्थ्य सुविधाओं का उपयोग पाँच मुख्य कारणों की वजह से नहीं कर पाते हैं

क) ज्ञान और उपयोग के साधनों की कमी

ख) सामाजिक और सांस्कृतिक बाधा

ग) एंकात और गोपनीयता की कथित कमी

घ) सेवाओं का उपयोग करने के लिए मुश्किल यानि सेवाएं बहुत दूर प्राप्त होती हैं या बहुत मंहगी होती हैं।

ड) सेवाएं प्रदान करने वाले कर्मचारी का व्यवहार अमित्रतापूर्ण होना है।

इस सिलसिले में हाल ही में शुरू की गई किशोर स्वास्थ्य रणनीति पूरे राज्य में किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिकों की स्थापना पर ज़ोर डालती है। क्लिनिकों की स्थापना का उद्देश्य मौजूदा स्वास्थ्य सुविधाओं में मामूली बदलाव लाकर मौजूदा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर परामर्शदाता की नियुक्ति करके और सामग्री जैसे कि आइ.एफ.ए, गर्भनिरोधक तरीकों इत्यादि का प्रावधान करके किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सक्षम बना सकते हैं।

किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवाएं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व ज़िला अस्पतालों के स्तर तक प्रदान करनी होगी

किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्देश्य

किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक का प्राथमिक उद्देश्य सुनिश्चित करना है। किशोरों को स्वास्थ्य केन्द्रों पर नैदानिक और परामर्श सुविधाए प्रदान हो। यह निम्न प्रकार से है: –

★ न्यायसंगत (Equitable): – 10 – 19 वर्ष के सभी किशोर ये सेवाएं प्राप्त कर सकें।

★ सुलभ (Accessible): – किशोर उपलब्ध सेवाएं प्राप्त कर सकें।

★ स्वीकार्य (Accetable): – किशोर उपलब्ध सेवाओं को प्राप्त करने के लिए तैयार हों।

★ उपयुक्त (Appropriate): – किशोरों को सही (यानि जिनकी उन्हे आवश्यकता हो) स्वास्थ्य सेवांए प्रदान की जाएं

★ प्रभावी (Effective): – सही स्वास्थ्य सेवाएं सही तरीके से प्रदान की जाएं और उनके स्वास्थ्य में एक सकारात्मक योगदान दे सकें।

परिचालन दिशानिर्देश का उद्देश्य

यह विभाग उन मुख्य बदलावों को दर्शाता है जिनकी किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिकों के संचालन के लिए आवश्यकता होगी, इसमें शामिल है समग्र परिचालन रूपरेखा, सपोर्टिव सुपरविज़न और निगरानी और अंत में, कार्यान्वयन करने का तरीका। यह ज़िला और ब्लाक स्तर के कार्यक्रम प्रंबध को लागू करने में सहायक होगी।

परिचालन दिशनिर्देश

यह विभाग किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक के समग्र ढ़ाँचे का अवलोकन प्रदान करता है जो कि इन क्लिनिकों की योजना और कार्यान्वयन के लिए सहायक होगा।

अवलोकन

यह अध्ययनों द्वारा दर्शाया गया है कि मध्यास्ता अधिक प्रभावी होती है जब उन बाधाओं को कम करने का प्रयत्न किया जाता है जोकि किशोर स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने में पाते हैं:

★ स्वास्थ्य सेवाएं किशोरों की आवश्यकताओं के अनुसार हों और उनके लिए आकर्षक और अनुकूल हो।

★ स्वास्थ्य सेवा प्रदाता किशोरों की ओर विचारशील हो। उनकी समस्याओं पर स्वयं के अनुमान न बनाए।

★ किशोर इस बात से अवगत हों कि स्वास्थ्य सेवाऐं कहाँ प्राप्त होती हैं।

★ किशोरों को जब इन सेवाओं की आवश्यकता हो तब वह सेवाओं को प्राप्त करने को तैयार हों और सेवाप्रदाताओं में यह क्षमता हो कि वह सही सेवाएं सही ढंग से प्रदान कर सकें।

★ समुदाय के सदस्यों को भी इन सेवाओं के बारे में ज्ञान हो व इन सेवाओं की विभिन्न समूहों की आवश्यकता के बारे में जागरूक हो।

किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं की संरचना

यह निर्देशित किया जाता है कि किशोर अनुकूल स्वास्थ्य सेवाओं की स्थापना निम्नलिखित मौजूदा स्वास्थ्य के स्तर पर करनी होगी।

★ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर 20000 की जनसंख्या पर पहाडी क्षेत्रों में और समतल क्षेत्रों में 30,000 की जनसंख्या पर स्थापित करना होगा।

★ सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर 80,000 की जनसंख्या पर पहाडी क्षेत्रों में और समतल क्षेत्रों में 1,20,000 की जनसख्या पर स्थापित करना होगा।

★ ज़िला मुख्यालय स्तर पर ज़िला अस्पताल और मेडिकल कॉलेजों में स्थापित करने होंगें।

किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिकों का पैकेज

किशोरावस्था में शरीरिक, मानसिक और भावनात्मक विकास होता है। यह वो समय होता है, जब एक युवा को जोखिम और चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो कि इन समस्याओं को जन्म देती है: –

मनोवैज्ञानिक समस्याएं जैसे कि उदासीनता / कम आत्म विश्वास

★ स्वास्थ्य समस्याएं जैसे कि अनीमिया यानि खून की कमी, कुपोषण / अतिपोषण

★ यौवन के मुद्दों के बारे में चिंता, तनाव इत्यादि।

★ यौन और प्रजन्न स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं जैसे कि आर.टी.आई (**RTI**), एस.टी.आई **(STI)**, एच.आई.वी / एड्स **(HIV/AIDs)** अनचाही गर्भावस्था और सही आयु से पहले गर्भावस्था, माहवारी संबंधित समंस्याए इत्यादि।

★ क्षति और हिंसा यानि कि यौन उत्पीडन, बलात्कार, घरेलू हिंसा, सड़क दुघर्टना, कृषि पद्धौतया, डूबना इत्यादि।

★ तम्बाकू, शराब और दूसरे नशीले पदार्थो का सेवन।

इसलिए यह आवश्यक है कि किशोरों और युवाओं को नैदानिक और परामर्श सेवाएं प्रभावी रूप से प्रदान की जांए।

संचार (Communication)

संचार किशोर रणनीति का एक अहम पहलू है।

★ ज़िलों और लक्षित समूह में जागरूकता के स्तर को बढ़ाने के लिए लक्ष्य निर्धारित करने होगे।

★ मीडिया प्लान बनाया जाएगा जो कि लक्षित समूह की आवश्यकताओं को ध्यान में रख कर बनाया जाएगा और सेवाप्रदाताओं को भी संवेदनशील बनाने के लिए भी कारगर होगा

माता – पिता की भूमिका को प्रबल करना

किशोरों को सर्मथन प्रदान करने में माता – पिता की अहम भूमिका होती है। माता – पिता को जागरूक करने के लिए व उनको किशोरों की आवश्यकताओं की ओर संवेदशील बनाने के लिए विद्यायलों में होन वाली माता – पिता अध्यापकों की बैठकों का उपयोग किया जा सकता है।

इसके अतिरिक्त, किशोर स्वास्थ्य दिवस के दौरान परामर्शदाता या प्रशिक्षत एम.ओ. / ए.एम.ओ / ए.एन.एम. को माता – पिता के साथ समूह बैठकें कर सकते हैं ताकि उन्हें निम्नलिखित मुद्दों पर जानकारी दी जा सके ।

किशोर स्वास्थ्य से सम्बंधित विषयों पर

कौशल: किशोरों के माता – पिता को अपने बच्चों से बेहतर सम्पर्क स्थापित करने के लिए और किशोरों के पालन में आने वाली समस्याओं के बारे में उनके विचार जानें और प्रत्यन्न करें कि माता – पिता को कैसे इन समस्याओं को दूर करे सकते हैं के बारे में जानकारी दें।

समर्थन: माता – पिता को किशोरों के सम्बंधित समस्याओं के उपलब्ध संसाधानों के बारे में शिक्षित और अवगत कराएं।

4 पियर शिक्षण के लिए दिशा निर्देश

नई राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य रणनीति में 10 – 19 वर्ष के किशोरों को बचाव व इलाज संबंधी स्वास्थ्य विषयों पर अत्यधिक जोर दिया है। समुदाय स्तर पर पियर शिक्षण इस रणनीति का एक प्रमुख घटक है। विश्व स्तर पर युवाओं तक किशोर स्वास्थ्य सम्बंधित विषयों के ज्ञान को पहुंचाने में पियर एजुकेटर का अत्यधिक महत्वपूर्ण योगदान है। एक पियर एजुकेटर द्वारा दी गई जानकारी को उसके ही समायु व समान भोगौतिक परिपेक्ष्य में रहने वाले अन्य किशोर अच्छी तरह से समझ पाते हैं और उन पर उनका पूर्ण विश्वास भी होता है।

इस विभाग में पियर शिक्षण को गाँव के स्तर पर लागू करने, पियर एजुकेटर का चयन, उनका लक्ष्य, उनकी कार्यशैली और उनकी सफलता आदि का एक परिचय दिया गया है। उसके बाद कार्यक्रम की तैयारी, पियर एजुकेटर का प्रशिक्षण, उनके द्वारा की जाने वाली बैठकें, सहायक पर्यवेक्षण, उन पर निरीक्षण व रिपोर्टिग आदि का वर्णन किया गया है।

पियर शिक्षण (Peer Education)

विश्व स्तर पर युवाओं तक स्वास्थ्य सम्बंधित विषयों के ज्ञान को पहुंचाने के लिए पियर एजुकेटर का चयन कर उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है और उसके बाद ये प्रशिक्षित पियर एजुकेटर अपने समान आयु वर्ग, समान सामाजिक स्तर व समान शैक्षणिक स्तर वाले अन्य किशोर व किशोरियों को अपनी शिक्षण साम्रगी व अन्य गतिविधियों के द्वारा किशोर सम्बन्धी विषयों व उनको समस्याओं के बारे में जागरूक करते हैं।

सामान्य रूप से एक पियर एजुकेटर की भूमिका को 3 वर्गो में बाँटा जा सकता है: –

1. उपयुक्त सामग्री के द्वार अन्य किशोर व किशोरियों में जानकारी को साँझा करना। (आपस में विचार विमर्श करना)
2. पियर शिक्षण जिसके द्वारा किशोर व किशोरियों के ज्ञान, योग्यता व कौशल को बढ़ावा मिलता है।
3. अंत में प्रशिक्षित कॉऊन्सलरों (परामर्शदाता) के द्वारा परामर्श अथवा अन्य गहन मनोवैज्ञानिक विषयों पर सहायता मिल सके।

ये क्रियात्मक निर्देश मुख्य रूप से पियर शिक्षण पर आधारित है जो कि नई राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य रणनीति का एक प्रमुख घटक है जिसमें जानकारी, शिक्षा व परामर्श (**IEC**) अथवा अंतर व्यक्तिगत संचार (**IPC**) के लिए किशोर स्वास्थ्य दिवस (**IEC**) व प्रशिक्षित परामर्शदाताओं के द्वारा किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक में व प्रशिक्षित स्टाफ द्वारा किशोर हैल्पलाइन पर परामर्श आदि का वर्णन मिलता है।

	जानकारी साँझा	पियर शिक्षण	पियर परामर्श
उद्देश्य	जागरूकता जानकारी व्यवहार बदलाव	जागरूकता जानकारी व्यवहार बदलाव कौशल को बढ़ावा परामर्श के लिए भेजने का प्रथम स्थान	जानकारी व्यवहार बदलाव आम्सम्मान मनोवैज्ञानिक समर्थन
लक्षित	उच्च	मध्य	निम्न

आवृति	निम्न	मध्य/उच्च	उच्च
लक्षित वर्ग	समुदाय अभिभावक किशोरों के बड़े समूह	किशोरों के छोटे-छोटे समूह व कई जगह व्यक्तिगत भी	व्यक्तिगत और कई जगह छोटे समूह
मध्यस्थता के प्रकार	किशोर स्वास्थ्य दिवस	पियर एजुकेंटरों द्वारा की गई बैठको द्वारा	CHC/DH पर किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लीनिकों पर के किशोर हैल्पलाइन द्वारा

एन.एच.एम का अवलोकन - किशोर स्वास्थ्य पियर शिक्षण कार्यक्रम NHM की AH रणनीति में दर्शाया गया है कि पियर शिक्षक कार्यक्रम द्वारा 10 - 19 वर्ष के किशोर व किशोरियों का नियमित व निरंतर मार्गदर्शन होगा और उन्हें पोषण, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, असंक्रमक, व्याथियाँ, नशावृति, क्षति व हिंसा (मुखत्या लिंग आधारित हिंसा) एवं मानसिक स्वास्थ्य आदि विषयों पर जागरूकता प्राप्त होगी।

पियर एजुकेटर की कार्यशैली (ग्रामीण) (Operational Guidelines of Peer Education) (Rural)

पियर एजुकेटर के कार्यो के क्रियान्वयन के लिए गाँव के स्तर पर, 1000 की जनसंख्या पर दो लड़का व दो लड़की पियर एजुकेटर का चयन किया जाता है। ये पियर एजुकेटर अपने गाँव, स्कूल व स्कूल न जाने वाले अन्य किशोरों को पियर एजुकेटर किट FAQ, किताब व अन्य गतिविधिओं द्वारा किशोरावस्था में आने वाली परेशानियों व बीमारियों सम्बन्धी विषयों पर विचार विमर्श करते है व आवश्यकता पड़ने पर परामर्श अथवा इलाज के लिए उन्हें पास कि CHC अथवा DH पर परामर्शदाता के पास भी भेज सकते है।

पियर एजुकेटर की कार्यशैली (शहरी) (Operational Guidelines of Peer Education) (Urban)

ग्रामीण क्षेत्रों की तरह शहरी क्षेत्रों में भी पियर एजुकेटर कार्यक्रम क्रियांवित होगा। हर एक शहरी पी.एच.सी. 4 पियर एजुकेटरों का चयन व प्रशिक्षण किया जाएगा। एक लड़का व एक लड़की पियर एजुकेटर क्रमश: स्कूल जाने वाले 15 - 20 किशोर व किशोरियों का समुह बनाकर उनकी बैठके करेंगे। इस प्रकार एक लड़का व एक लड़की पियर एजुकेटर क्रमश: स्कूल न जाने वाले 15 - 20 किशोर व किशोरियों का समुह बनाकर उनकी बैठके करेंगे। राज्य सामुदायिक आवश्यकता के अनुसार पियर एजुकेटरो की संख्या में बदलाव कर सकते है।

पियर एजुकेटर के लिए आवश्यक है कि: –

- ★ पियर एजुकेटर एक समान सामाजिक व भौगोलिक परिपेक्ष्य जैसे आयु, लिंग व स्कूल आदि के किशोर होते हैं जो कि अपने अन्य किशोरों को आने वाली परेशानियो को अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं।
- ★ पियर एजुकेटर कार्यक्रम की सफलता के लिए पियर एजुकेटर के चयन, उनके उतम प्रशिक्षण व उनका गहन सहायक पर्यवेक्षण अत्यंत अवश्यक है।
- ★ पियर एजुकेटर को कार्य में लगाये रखने के लिए मानदेय भी अत्यंत आवश्यक है।
- ★ पियर एजुकेटर को अपने कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए अपने निर्णय स्वयं लेने की पूरी आजादी होनी चाहिए।
- ★ साप्ताहिक बैठकों का एक पाठ्यक्रम होना चाहिए। इन बैठकों में किशोर समुदाय की जरूरतों सम्बन्धी बातों का होना अत्यत आवश्यक है जैसे अगर समूह में शादीशुदा व गर्भवती किशोरियां हैं तो गर्भावस्था, गर्भावस्था के पूर्व व पश्चात आने वाली परेशानियों के बारे में विचार विमर्श अवश्य करें।
- ★ ये साप्ताहिक बैठकें किशोरों को उनके समय के अनुकूल होनी चाहिए ताकि वे ज्यादा से ज्यादा संख्या में बैठकों मे शामिल हो सके।

आशा के लिए निर्देश

1. गांव के स्तर पर आशा, पियर एजुकेटर सहायक के रूप में रहेगी जो यह ध्यान देगी की ग्रामीण स्तर पर पियर एजुकेटर सम्बन्धी गतिविधियाँ सुचारू रूप से चल सकें।
2. आयुष डाक्टर अथवा दन्त चिकित्सक हर माह पियर एजुकेटरों को किशोरावस्था सम्बंधित विषयों पर प्रशिक्षण देंगे।
3. आशा कार्यकर्ताओं को किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम व उसमे उनकी भूमिकाओं के बारे में अवगत कराने के लिए उनके मासिक प्रशिक्षणों में आशा सहायक द्वारा जानकारी प्रदान की जाएगी।

कार्यक्रम को लागू करने की प्रक्रिया कार्यक्रम को लागु करने की प्रक्रिया की शुरूआत होगी मुख्य स्टॉफ के प्रशिक्षण द्वारा जैसे कि सामुदायिक अथवा प्राथमिक चिकित्सक केंद्र पर नियुक्त आयुष चिकित्सक अथवा जहाँ आयुष चिकित्सक न हो वहा दन्त चिकित्सक का प्रशिक्षण (3 दिन), समुदाय व अभिभावकों में पियर एजुकेटर कार्यक्रम के लिए जागरूकता पैदा करना, पियर का चयन, किशोर समूहों का गठन, पियर एजुकेटर के लिए सहायक पर्यवेक्षण व उनके कार्यो की निगरानी करना शामिल है।

सीधे लागु करने का ढाँचा

हरियाणा में यह कार्यक्रम सीधे DHFW द्वारा लागू किया जायेगा जिसका कि ढांचा निम्न प्रकार से होगा: –

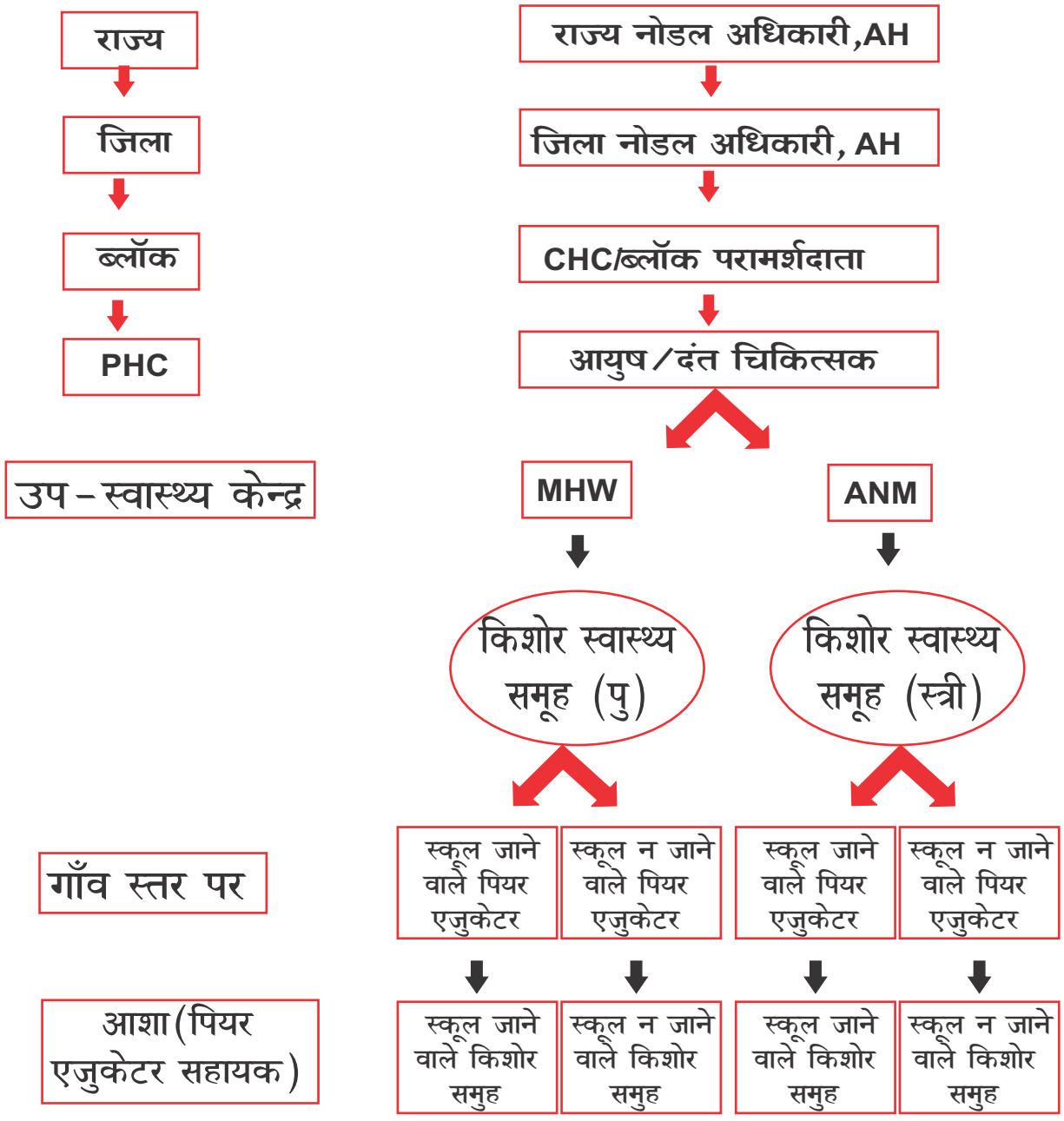

	गतिविधि	विवरण	समय प्रतिबद्धता			
			आयुष /दन्त चिकित्सक	ए.एन.एम.	आशा	पियर एजुकेटर
एक बार की गतिविधि						
1	कार्यक्रम के लिए जागरूकता फैला कर समुदाय स्तर पर पूर्ण समर्थन प्राप्त करना	समुदाय के बड़े मुखियाओं जैसे सरपंच या वी.एच्.एस.सी. के सदस्यों व अभिभावकों से मिलकर कार्यक्रम के लिए जागरूक करना व कार्यक्रम के लिए एक आम सहमति बनाना व लायक पियर एजुकेटर का पता लगाना। मुखियाओं के साथ निम्न बातों पर विचार करना चाहिए: - ★ किशोर स्वास्थ्य की आवश्यकता ★ पियर शिक्षण की जरूरतों व प्रभावों के विषय में सिफारिश करना ★ पियर एजुकेटर कार्यक्रम का एक ब्यौरा और अन्य किशोर समूहों को होने वाले लाभ के विषय में बताना	नहीं	हर गांव में 2 घंटे की बैठक	½ दिन	नहीं
2	4 पियर एजुकेटर का चयन करना	प्रत्येक 1000 की जनसंख्या पर 2+2 लड़का व लड़की पियर एजुकेटर का चयन करना जो कि स्वयं सेवक होंगे। पियर एजुकेटर को किन विषयों पर				
		कार्य करना होगा, उसके लिए कितना समय व उनको क्या मानदेय देना होगा आदि बातो के बारे मे उन्हे पहले ही बता देना चाहिए।				
3	किशोर समूह का गठन	हर पियर एजुकेटर को 15 - 20 किशोरों का एक समूह बनाना होगा जिसमें कि वह आशा / मुखिया व आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सहायता ले सकता है	नहीं	नही	0.5 दिन	2 दिन
4	पियर एजुकेटर का प्रशिक्षण	पियर एजुकेटर के लिए पियर एजुकेटर किट द्वारा 1 दिन के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन करना	1 दिन	नही	नही	1 दिन
कुल समय लगेगा (8 घंटे) 8 दिन			1 दिन	3 दिन	1 दिन	3दिन

	गतिविधि	विवरण	समय प्रतिबद्धता			
			आयुष /दन्त चिकित्सक	ए.एन.एम.	आशा	पियर एजुकेटर
चल रही गतिविधियाँ						
	पियर एजुकेटर की बैठके करवाना व उनकी बैठकों की डायरी बनवाना	प्रत्येक पियर एजुकेटर की निम्नलिखित जिम्मदारियां होगी ★ अपने समूह के साथ प्रत्येक माह 2-2 घंटे की 4 साप्ताहिक बैठकें करनी होगी जो कि किशोर स्वास्थ्य के निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार होगी। ★ सभी साप्ताहिक बैठकों के विस्तृत विवरण के साथ अपनी डायरी बनानी होगी।	नहीं	नही	नहीं	1.5 दिन प्रति माह

	गतिविधि	विवरण	समय प्रतिबद्धता			
			आयुष /दन्त चिकित्सक	ए.एन.एम.	आशा	पियर एजुकेटर
3	किशोर स्वास्थ्य दिवस के आयोजन में मदद	सभी पियर एजुकेटर अपने समूह में शामिल किशोरों को किशोर स्वास्थ्य दिवस उद्देश्य व उसकी कार्य शैली के बारे में बताएंगे और सभी किशोरो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में किशोर स्वास्थ्य दिवस पर पहुँचने के लिए प्रेरित करेगें। प्रत्येक पियर एजुकेटर इसके लिए हर तिमाही में 1.5 दिन का समय दिया जाएगा।	नहीं	नहीं	नहीं	0.5 दिन प्रति माह
4	पियर एजुकेटर के लिए प्रशासन द्वारा सहायता	पियर एजुकेटर को आने वाली समस्याओ जैसे हाजिरी में कमी, जगह आदि के लिए हर पियर एजुकेटर के लिए माह में एक बार प्रशासन द्वारा बैठक की जाएगी	नही	नही	1	0.5 दिन प्रति माह
5	पियर एजुकेटर बैठको की प्रगति रिपोर्ट	प्रत्येक पियर एजुकेटर को माह के अंत में अपनी साप्ताहिक गतिविधियों की तैयार रिपोर्ट जमा करानी होगी। इसमें प्रति माह 2 घंटे का समय लगेगा।	नहीं	नहीं	नहीं	0.5 दिन प्रति माह
6	किशोर समुह बैठकों की गति विधियों की निगरानी	आयुष अथवा दांत चिकित्सक को माह में एक बार कम से कम दो किशोर समूहों की बैठको की निगरानी करनी होगी	0.5 दिन प्रति माह	नहीं	नहीं	नहीं
7	रिपोर्टो की जांच व प्रतिपुष्टि	इसमें शामिल है:- 1. ब्लॉक स्तर पर रिपोर्टो को तैयार व विश्लेषण कर जमा करवाना 2. पाठ्यक्रम में सुधार के लिए प्रति पुष्टि देना आयुष/ दंत चिकित्सक को इसके लिए 1 दिन प्रति माह का समय निर्धारित होगा।	1 दिन प्रति माह	1 दिन प्रति माह	नहीं	नहीं

	गतिविधि	विवरण	समय प्रतिबद्धता			
			आयुष /दन्त चिकित्सक	ए.एन.एम.	आशा	पियर एजुकेटर
3	मानदेय बांटना	प्रति माह प्रत्येक पियर एजुकेटर को प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए 50रू का मानदेय दिया जायेगा व प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात अपने समूह से बैठक करने के लिए 100रू मानदेय प्रतिमाह दिया जायेगा।	1 दिन	नही	नही	नही
4	छोड़ कर जाने वाले पियर एजुकेटर का साक्षात्कार व उनके स्थान पर अन्य की नियुक्ति	छोड़कर जाते हुए पियर एजुकेटर से छोड़ने के कारणों को जानना नये पियर एजुकेटर के चुनाव के लिए पियर एजुकेटर की बैठक करवाना जिसमें: - समूह में से किसी एक सदस्य की नियुक्ति के लिए मतदान करवाना नव नियुक्त पियर एजुकेटर को कार्यो में पुराने पियर एजुकेटर द्वारा सलाह व मदद के लिए कहना।	नही	0.5 दिन प्रति माह	नही	0.5 दिन प्रति माह
कुल समय लगेगा (प्रत्येक दिन 8 घंटे) 9 दिन			2.5 दिन प्रति माह	1.5 दिन प्रति माह	1 दिन प्रति माह	4 दिन प्रति माह

अन्य विभागों से समन्वय

राज्य व जिला स्तर पर कार्यक्रम को लागू करने व सुचारू रूप से चलने के लिए व इसमें नए सुधार करने के लिए अन्य विभागों जैसे शिक्षा विभाग व महिला व बाल कल्याण विभाग जहाँ आवश्यक हो के साथ समन्वय किया जा सकता है जैसे कि विद्यालय स्तर पर पियर एजुकेटर के चयन और उनकी बैठकों की निगरानी के लिए विद्यालय के नोडल अध्यापकों की मदद ली जा सकती है और विद्यालय न जाने वाले किशोरों के लिए महिला एवं बाल कल्याण विभाग कार्यक्रम के तहत सबला योजना में आइ.सी.डी.एस. केन्द्रों से सहायता ली जा सकती है।

भर्ती व अवधारण

(Recruitment and Retention)

इस विभाग में पियर एजुकेटर की भर्ती करने व उन्हें कार्यो में लगाये रखने के लिए सहायक पर्यवेक्षन व उनके लिए दिए जाने वाले मानदेय का उल्लेख किया गया है।

राज्यों को पियर एजुकेटर के चयन के लिए एक मापदंड तैयार करना होगा, इस मापदंड में निम्नलिखित बातें शामिल होंगी कि पियर एजुकेटर: –

★ एक स्वयसेवक होना चाहिए।
★ उसकी आयु 15 – 19 वर्ष के बीच में होगी।
★ वह एक समान सामाजिक व भोगौलिक परिपेक्ष्प का होगा जैसे कि समान लिंग व शिक्षण स्तर आदि।
★ कार्यक्रम के लिए पूर्ण समय देने के लिए समर्पित और तत्पर होना चाहिए
★ व्यक्तित्व सम्बन्धी गुण जैसे उच्च प्रेरणा का स्रोत, नेतृत्व क्षमता वाला, व्यवसाय सम्बन्धी ज्ञान आदि से निपुण होना चाहिए।
★ इसी प्रकार के कार्यो में लगे हुए किशोरों जैसे कि सबला योजना आदि में लगे हुए किशोरों को प्राथमिकता दी जाएगी

पियर एजुकेटर का चयन

★ 1000 की जनसंख्या पर सभी गांवो के स्तर पर 4 पियर एजुकेटर (2लड़का व 2लड़की) का चयन किया जायेगा।
★ पियर एजुकेटर का चयन निम्न 2 विधियों द्वारा किया जायेगा: –

1. स्कूलो से पियर एजुकेटर: – जब ए.एन.एम. स्कूलों में मासिक दोरों पर जाती है तब वह अध्यापकों को व बच्चों को किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम व पियर एजुकेटर गतिविधि के बारे में जानकारी देती है और वह अध्यापकों की मदद से उपरोक्त गुणों वाले बच्चों को चयन करेगी जिसमें से अंतिम 4 बच्चो का चयन CHC/PHC पर (2 – 2) आयुष और दंत चिकित्सक करेंगे ।
2. समुदाय के मुखियाओं द्वारा प्रस्तावित लडकों के बारे में भी ए.एन.एम. सामुदायिक अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मौजूद आयुष/दंत चिकित्सक को बताएंगी जो अंत तें उनमें से 2 लड़का व 2 लड़की पियर एजुकेटर का चयन कर सकते है।

★ पियर एजुकेटर को 50 रू मासिक बैठक में आने व 100रू अपने क्षेत्र में साप्ताहिक बैठकें करने के लिए देय होगा।
★ कार्यक्रम को छोड़ कर जाते हुए पियर एजुकेटर को इसके कारणों के विषय में पूछताछ की जाएगी और उसकी मदद द्वारा उसी के समूह में से अन्य पियर एजुकेटर के लिए मतदान कर चयन किया जायेगा और जाते हुए पियर एजुकेटर से आशा की जाएगी कि वह नये पियर एजुकेटर की कार्यक्रम सम्बन्धी पूरी मदद करें।

प्रशिक्षण व विकास

इस विभाग में पियर एजुकेटर के प्रशिक्षण व उनको अपने कार्यक्रम के उद्देश्य के लिए प्रोत्साहित करने के विषय में बताया गया है।

प्रशिक्षण की प्रक्रिया

★ सामुदायिक व प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर आयुष चिकित्सकों अथवा दंत चिकित्सकों पर पियर एजुकेटर कार्यक्रम की देखरेख, पियर एजुकेटर का प्रशिक्षण व पियर एजुकेटर द्वारा की गई बैठको की निरिक्षण की प्राथमिक जिम्मेवारी होगी।

★ पियर एजुकेटरों का 6 दिन का प्रशिक्षण साप्ताहिक, पाक्षिक और मासिक किया जा सकता है। इन 6 दिनों को 2 हफतों में पूरा किया जा सकता है।

पियर एजुकेटर का विकास

पियर एजुकेटर की कार्यशैली को निरंतर बढ़ावा मिलता रहे इसके लिए सफल पियर एजुकेटर को राज्य अथवा जिला स्तर पर होने वाले सम्मेलनों अथवा बैठकों में बुलाया जाये। सफल पियर एजुकेटर की साप्ताहिक बैठकों में अन्य पियर एजुकेटर को बुला कर उन्हें भी इस प्रकार की बैठकों को आयोजन करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

पियर एजुकेटर को सलाह दी जाती है कि वह: –

★ पियर एजुकेटर की बैठकों में किशोरावस्था में आने वाली परेशानियों से सम्बन्धित विषयों जैसे आयु, भेदभाव की भावना, वैवाहिक स्तर, **HIV/AIDS** के खतरों व गर्भावस्था आदि विषयों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिये जिससे की सभी किशोर इन समस्याओं से अवगत हो सके।

★ पियर एजुकेटर किट व एफ.ए.क्यू. किताब की सहायता से भागीदारी सत्र करवाए जाने चाहिए जिसमें कि सभी किशोरों को अपने प्रश्न उठाने का मौका मिल सके। इसके लिए यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि अगर कोई किशोर अकेले में कोई सवाल पूछना चाहे तब भी उसकी इच्छा का पूरा समर्थन किया जाये।

★ नियमित उपस्थिति को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जिसके लिए बैठक रविवार के दिन हो जिसमें कि सभी किशोर उपस्थित रह सके।

★ किशोरों को किशोर हेल्पलाईन व किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक, किशोर स्वास्थ्य दिवस, अन्य व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि के बारे में बताकर उन्हें उस संस्था में भी रैफर करना चाहिए।

निरीक्षण व रिपोर्टिंग

इस विभाग में पियर एजुकेटर शिक्षण कार्यक्रम के निरीक्षण व रिपोर्टिंग फार्मो के विषय में बताया गया है। इनके द्वारा राज्य व जिला स्तर पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि कार्यक्रम में किन स्थानों में काम सुचारू रूप से चल रहा है व किन स्थानों में सुधार की आवश्कयता है।

जिला स्तर पर कार्यो का निरीक्षण

जिला नोडल किशोर स्वास्थ्य अधिकारी को सलाह दी जाती है कि : –

★ कार्यक्रम के शुरूआत में इसके लक्ष्यो को निर्धारित करें।

★ प्रगति रिपोर्ट हर माह की 15 तारीख तक तैयार कर व उसका विश्लेषण कर जमा करा देनी चाहिए।

★ कार्यक्रम में सुधार के लिए सलाह देना, इसके लिए पियर एजुकेटर के द्वारा किये कार्यो व उनके द्वारा तैयार मासिक व तिमाही रिपोर्टो को आधार मान सकते है।

★ हर तिमाही पर राज्य द्वारा पियर एजुकेटर की मासिक रिपोर्टो को समेकित अथवा संयुक्त कर राज्य स्तर की एक तिमाही रिपोर्ट तैयार कर स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय को भेजनी होगी।

ब्लॉक स्तर पर निरीक्षण

★ आशा पियर एजुकेटर की कार्यक्षमता की जाँच कर सकती है और उसमें किये जाने वाले सुधारों के विषय में बता सकती हैं। यह निम्नलिखित पर आधारित होता है: –

1. पियर एजुकेटर की मासिक रिपोर्ट हर माह की 5 तारीख तक विश्लेषण कर उससे पियर एजुकेटर की कार्यक्षमता के बारे में निष्कर्ष निकाल सकती है।

2. पियर एजुकेटर द्वारा तैयार की गई मासिक डायरी की भी समीक्षा कर उसकी कार्यक्षमता के बारे में निष्कर्ष निकाल सकती है।

3. इस रिपोर्ट को प्रतिमाह 10 तारीख तक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर मौजूद परामर्शदाता (C.H.C. Counsellor) समेकित करेगा व जिला स्तर पर भेजेगा। जब तक परामर्शदाता की नियुक्ति नही होती है तब तक सामुदायिक स्वास्थ्य केद्र पर किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को देख रहे आयुष अथवा दंत चिकित्सक को यह रिपोर्ट तैयार करनी है।

पियर एजुकेटर कार्यक्रम को लागू करने की प्रक्रिया

पियर एजुकेटर कार्यक्रम की योजना बनाने, लागू करने की प्रक्रिया व उसके निरीक्षण आदि के लिए राज्य स्तर पर विभिन्न चरणों में क्रियान्वयन प्रक्रिया चलाई जानी होगी। यह लागू करने की प्रक्रिया जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य एवम् परिवार कल्याण विभाग (DHFW) द्वारा सीधे चलाई जाती है। इन्हें नीचे प्रदेर्शो में दर्शाया गया है राज्य, जिला, ब्लॉक, PHC/ उप – स्वास्थ्य केंद्र और अंत में समुदाय स्तर पर कार्यक्रम किस प्रकार लागू किया जाना है: –

राज्य स्तर पर पियर एजुकेटर कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया

कदम	गतिविधि	आवृति और क्रियान्वयन का समय	प्राथमिक जिम्मेवारी
1	पियर एजुकेटर के लिए त्रिवर्षीय योजना का गठन करना जिसमें की हर वार्षिक योजना व बजट का विस्तार से वर्णन होगा	वार्षिक (राज्य NHM -PIP में दी गई समया-वधि अनुसार)	राज्य नोडल AH अधिकारी
2	राष्ट्रीय स्तर पर दी गई पियर एजुकेटर निर्देश व प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को अपनाना और अगर जरूरत हो तो उन्हें अनुवाद करना	एक बार	राज्य नोडल AH अधिकारी
3	पियर एजुकेटर निर्देशों व रिपोर्टिग फार्मो को छपवाना व उन्हें राज्य द्वारा सभी जिलों तक पहुचाना	एक बार	राज्य नोडल AH अधिकारी
4	पियर एजुकेटर किट, एफ.ए.क्यू. किताब व अन्य प्रशिक्षण सामग्री को अपनाकर उन्हे छपवाना	वार्षिक(राज्य NHM -PIP में मंजूर होने के बाद)	राज्य नोडल AH अधिकारी
5	मुख्य प्रशिक्षकों का चयन करना व पियर एजुकेटर प्रशिक्षण रणनीति के अनुसार उन्हें प्रशिक्षित करना	वार्षिक	राज्य नोडल AH अधिकारी
6	पियर एजुकेटर कार्यक्रम की प्रगति की निगरानी के लिए राज्यों द्वारा तिमाही समेकित प्रगति रिपोर्ट को हर तिमाही के बाद आने वाले माह की 15 तरीख तक भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग को भेजनी होगी।	तिमाही	राज्य नोडल AH अधिकारी(तिमाही रिपोर्टो के बाद आने वाले माह के अंत तक

जिला स्तर पर पियर एजुकेटर कार्यक्रम के क्रियान्वयन की प्रक्रिया

कदम	गतिविधि	आवृति और क्रियान्वयन का समय	प्राथमिक जिम्मेवारी
1	जिला पियर एजुकेटर कार्य योजना में क्रियान्वयन साधनों, महत्वूर्ण गतिविधियों व इनके लिए समयावधि का विस्तार से वर्णन करना होगा। यह निम्न मान्यताओं पर आधारित 1 जिन गाँव में पहले से पियर एजुकेटर सक्रिय हैं वहां पर पियर एजुकेटर का चयन नहीं करना होगा परन्तु जिन गांव में उनका चयन नहीं हुआ वह शीघ्रातिशीघ्र करना होगा। 2 प्रप्तेक पियर एजुकेटर को प्रतिमाह एक दिन का प्रशिक्षण दिया जायेगा। यह प्रशिक्षण उन्हें सामुदायिक अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मौजूद आयुष/दांत चिकित्सक द्वारा प्रदान किया जायेगा। 3 प्रशिक्षित पियर एजुकेटर को 15 – 20 किशोरों का एक समूह बना कर प्रत्येक माह 4 साप्ताहिक बैठकें करनी होगी	वार्षिक (राज्य NHM -PIP मे दी गई समयावधि अनुसार)	जिला नोडल AH अधिकारी राज्य नोडल AH अधिकारी
2	अन्य विभागों से अभिसरण जिला स्तर पर जहां प्राप्त हो सके शिक्षा विभाग और महिला व बाल कल्याण विभाग आदि के साथ मिलकर कार्य करने के अवसर तलाशे जा सकते है।	एक बार (राज्य NHM -PIP में दी गई समयावधि अनुसार)	जिला न्यायाधीश कलेक्टर/CMO/ DPM/ जिला नोडल AH अधिकारी
3	किशोर स्वास्थ्य पर कार्यक्रम आयोजित करना व जागरूकता के लिए कर्मचारियों को प्रशिक्षण देना	एक बार (राज्य NHM -PIP में दी गई समया वधि अनुसार)	जिला नोडल AH अधिकारी/ जिला प्रशिक्षण केंद्र
4	पियर एजुकेटर के लिए मानदेय	प्रतिमाह	जिला नोडल AH अधिकारी
5	मासिक निरिक्षण व रिपोर्टिंग ★ राज्य स्तर पर देने के लिए मासिक रिपोर्ट तैयार करना व उसका विश्लेषण कर राज्य को प्रस्तुत करना ★ कार्यक्रम में सुधार के लिए सुझाव (communicating feedback)	हर वर्ष की 10 तारीख तक	जिला नोडल AH अधिकारी

पियर एजुकेटर कार्यक्रम के ब्लॉक स्तर पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया

कदम	गतिविधि	आवृति और क्रियान्वयन का समय	प्राथमिक जिम्मेवारी
1	पियर एजुकेटर का प्रतिमाह 1 दिन के प्रशिक्षण का आयोजन करना	यह गतिविधि निरंतर चलती रहेगी। प्रतिवर्ष पी.आई.पी की मंजूरी के आने से पूर्व भी यह गतिविधि चलती रहेगी।	सामुदायिक अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य पर मौजूद आयुष/दंत चिकित्सक
2	मासिक निरीक्षण व रिपोर्टिंग * दौरो के द्वारा लगातार गतिविधिओं का निरीक्षण * ब्लाक स्तर की मासिक रिपोर्ट को तैयार कर व विश्लेषण कर जिला स्तर पर प्रस्तुत करना * कार्यक्रम में सुधार के लिए सुझाव देना	हर माह की 5 तारीख तक	ब्लाक परामर्शदाता अर्थात सामुदायिक अथवा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मौजूद आयुष/दांत चिकित्सक

PHC/SHC स्तर पर पियर एजुकेटर कार्यक्रम क्रियान्वयन की प्रक्रिया

कदम	गतिविधि	आवृति और क्रियान्वयन का समय	प्राथमिक जिम्मेवारी
1	निरीक्षण निरंतर दौरों के द्वारा पियर शिक्षण की गुणवता की जांच करना (प्रति वर्ष 2 किशोर समूह प्रति गांव)	नियमित दौरो के दौरान	आयुष/दांत चिकित्सक
2	रिपोर्ट, उनका विश्लेषण व प्रतिपुष्टि	हर माह की 5 तारीख तक	पी.एच.सी. में आयुष/दांत चिकित्सक की मदद से

पियर एजुकेटर कार्यक्रम को ब्लॉक स्तर पर क्रियान्वयन की प्रक्रिया

कदम	गतिविधि	आवृति और क्रियान्वयन का समय	प्राथमिक जिम्मेवारी
1	समुदाय में जागरूकता द्वारा सामुदायिक समर्थक	वार्षिक	आशा
2	4 पियर एजुकेटर का चयन		
3	किशोर समूह का गठन	वार्षिक	पियर एजुकेटर द्वारा आशा की मदद से
4	पियर एजुकेटर की बैठकें करवाना व बैठको की डायरी बनाये रखना	4 बैठकें प्रति माह	पियर एजुकेटर
5	साप्ताहिक गतिविधियों पर आधारित मासिक रिपोर्ट तैयार करना	मासिक	पियर एजुकेटर
6	ब्लॉक स्तर के लिए मासिक रिपोर्ट उसका विश्लेषण व प्रतिपुष्टि तैयार करना	मासिक	पियर एजुकेटर

फार्म 1

पियर एजुकेटर का पंजीकरण फार्म

फोटो

क्रमांक .....

दिनांक .....

1. पियर एजुकेटर का नाम: _____
2. लिंग (पुं/स्त्री) _____
3. आयु _____
4. माता/पिता का नाम _____
5. पता _____
6. स्कूली/गैर-स्कूली _____
7. अगर स्कूल में हो तब स्कूल का नाम व पता _____

   _____
8. गैर-स्कूली (किसी व्यवसाय में लगे हो तो बताये) _____
9. फोन/मोबाईल न. _____
10. ईमेल आई.डी _____

फार्म 2

राज्य स्तर की तिमाही पियर शिक्षण की प्रगति रिपोर्ट का फार्म

क्रमांक	सूचक	योजनाबद्ध	वास्तविक	विभिन्नता
जिले का नाम				
1	पियर एजुकेटर कार्यक्रम लागू किये गये गाँव की संख्या			
2	पियर एजुकेटर कार्यक्रम लागू किए गए ब्लॉको की संख्या			
3	कार्यक्रम में लगे **MHW/NGO** सदस्यों की संख्या			
4	कार्यक्रम में लगी ए.एम.एन. /एन.जी.ओ सदस्यों की संख्या			
5	कार्यक्रम में लगी आशा की संख्या			
नामांकित पियर एजुकेटर				
6	इस तिमाही में नामांकित पियर एजुकेटर की संख्या			
7	इस वित्तिय वर्ष में अब तक कुल नामांकित पियर एजुकेटर की संख्या			
8	पियर एजुकेटर कार्यक्रम शुरूआत में अब तक कुछ नामांकित पियर एजुकेटर की संख्या			
प्रशिक्षण				
9	इस तिमाही में प्रशिक्षिता ए.एन.एम् व एम.एच.डवलू. अथवा **NGO** स्टाफ की संख्या			
10	इस तिमाही में किशोर स्वास्थ्य प्रशिक्षण/जागरूकता प्राप्त स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या (**MO, ANM,** /आयुष/दंत चिकित्सक)			
11	तिमाही में प्रशिक्षित पियर एजुकेटरो की संख्या।			
12	इस वित्तिय वर्ष में अब तक कुल प्रशिक्षित पियर एजुकेटरों की संख्या			
13	कुल नामांकित पियर एजुकेटर में से पियर एजुकेटर किट प्राप्त पियर एजुकेटरों की संख्या।			

क्रमांक	सूचक	योजनाबद्ध		वास्तविक		विभिन्नता	
		10-14yr	15-19yr	10-14yr	15-19yr	10-14yr	15-19yr
14	इस तिमाही में ग्रामीण पियर एजुकेटर द्वारा भेजे गए स्कूल न जाने वाले किशोरों की संख्या।						
15	इस तिमाही में ग्रामीण पियर एजुकेटर द्वारा भेजे गए स्कूल न जाने वाली किशोरियों की संख्या।						
16	इस तिमाही में ग्रामीण पियर एजुकेटर द्वारा भेजे गए स्कूल जाने वाले किशोर की संख्या।						
17	इस तिमाही में ग्रामीण पियर एजुकेटर द्वारा भेजे गए स्कूल जाने वाली किशोरियाँ की संख्या।						
18	इस तिमाही में ग्रामीण पियर एजुकेटर द्वारा भेजे गए कुल किशोर व किशोरियों की संख्या।						
किशोर समुह के साथ पियर शिक्षण सत्र							
19	इस तिमाही में पियर एजुकेटर द्वारा की गई बैठकों की संख्या						
20	इस वित्तिय वर्ष में अब तक कुल पियर एजुकेटर द्वारा की गई बैठकों की संख्या						
21	इस तिमाही में हर पियर एजुकेटर बैठक की औसत उपस्थिति दर						
रैफरल							
22	इस तिमाही में किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक पर भेजी गई किशोरियों की संख्या						
23	इस तिमाही में किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक पर भेजे गए किशोरों की संख्या						
किशोर अनुकूल मित्रता समूह (AFC)							
24	इस तिमाही में बनाए गए किशोर अनुकूल मित्रता समुहों की संख्या।						

फार्म 3

ज़िला स्तर की मासिक पियर शिक्षण की प्रगति रिपोर्ट का फार्म

क्रमांक	सूचक	योजनाबद्ध	वास्तविक	विभिन्नता
जिले का नाम				
1	पियर एजुकेटर कार्यक्रम लागू किये गये गाँव की संख्या			
2	पियर एजुकेटर कार्यक्रम लागू किए गए ब्लोकों की संख्या			
3	कार्यक्रम में लगे **MHW/NGO** सदस्यो की संख्या			
4	कार्यक्रम में लगी ए.एम.एन. /एन.जी.ओ. सदस्यों की संख्या			
5	कार्यक्रम में लगी आशा की संख्या			
नामांकित पियर एजुकेटर				
6	इस तिमाही में नामांकित पियर एजुकेटर की संख्या।			
7	इस वित्तिय वर्ष में अब तक कुल नामांकित पियर एजुकेटर की संख्या।			
8	पियर एजुकेटर कार्यक्रम शुरूआत में अब तक कुल नामांकित पियर एजुकेटर की संख्या			
प्रशिक्षण				
9	इस तिमाही में प्रशिक्षिता ए.एम.एन व एम.एच.डवलू. अथवा **NGO** स्टाफ की संख्या			
10	इस तिमाही में किशोर स्वास्थ्य प्रशिक्षण/जागरूकता प्राप्त स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या (**MO, ANM,** /आयुष/दंत चिकित्सक)			
11	रिपोर्टिंग माह में प्रशिक्षित पियर एजुकेटरों की संख्या			
12	इस वित्तिय वर्ष में अब तक कुल प्रशिक्षित पियर एजुकेटरों की संख्या			
13	कुल नामांकित पियर एजुकेटर में से पियर एजुकेटर किट प्राप्त पियर एजुकेटरों की संख्या।			

क्रमांक	सूचक	योजनाबद्ध		वास्तविक		विभिन्नता	
		10-14yr	15-19yr	10-14yr	15-19yr	10-14yr	15-19yr
14	रिपोर्टिंग माह में ग्रामीण पियर एजुकेटर द्वारा भेजे गए स्कूल न जाने वाले किशोरों की संख्या						
15	रिपोर्टिंगं माह में ग्रामीण पियर एजुकेटर द्वारा भेजे गए स्कूल न जाने वाली किशोरियों की संख्या।						
16	रिपोर्टिंग माह में ग्रामीण पियर एजुकेटर द्वारा भेजे गए स्कूल जाने वाली किशोर की संख्या।						
17	रिपोर्टिंग माह में ग्रामीण पियर एजुकेटर द्वारा भेजे गए स्कूल जाने वाली किशोरियो की संख्या।						
18	रिपोर्टिंग माह में ग्रामीण पियर एजुकेटर द्वारा भेज गए कुल किशोर व किशोरियों की संख्या।						
किशोर समुह के साथ पियर शिक्षण सत्र							
19	रिपोर्टिंग माह में पियर एजुकेटर द्वारा की गई बैठको की संख्या						
20	इस वित्तिय वर्ष में अब तक कुल पियर एजुकेटर द्वारा की गई बैठकां की संख्या						
21	रिपोर्टिंग माह में हर पियर एजुकेटर बैठक की औसत उपस्थिति दर						
रैफरल							
22	रिपोर्टिंग माह में किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक पर भेजी गई किशोरियों की संख्या						
23	रिपोर्टिंग माह में किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक पर भेजी गई किशोरों की संख्या						
किशोर अनुकूल मित्रता समूह (AFC)							
24	रिपोर्टिंग माह में बनाए गए किशोर अनुकूल मित्रता समुहों की संख्या।						

फार्म 4

पी.एच.सी स्तर की मासिक पियर शिक्षण की प्रगति रिपोर्ट का फार्म

क्रमांक	सूचक	योजनाबद्ध	वास्तविक	विभिन्नता
जिले का नाम				
1	पियर एजुकेटर कार्यक्रम लागू किये गये गाँव की संख्या			
2	पियर एजुकेटर कार्यक्रम लागू किए ब्लोकों की संख्या			
3	कार्यक्रम में लगे **MHW/NGO** सदस्यों की संख्या			
4	कार्यक्रम में लगी ए.एम.एन. /एन.जी.ओ सदस्यों की संख्या			
5	कार्यक्रम में लगी आशा की संख्या			
नामांकित पियर एजुकेटर				
6	इस तिमाही में नामांकित पियर एजुकेटर की			
7	इस वित्तिय वर्ष में अब तक कुल नामांकित पियर एजुकेटर की सदस्या			
8	पियर एजुकेटर कार्यक्रम शुरूआत में अब तक कुछ नामांकित पियर एजुकेटर की संख्या			
प्रशिक्षण				
9	इस तिमाही में प्रशिक्षिता ए.एम.एन व एम.एच.डवलू. अथवा **NGO** स्टाफ की संख्या			
10	इस तिमाही में किशोर स्वास्थ्य प्रशिक्षण/जागरूकता प्राप्त स्वास्थ्य कर्मचारियों की संख्या (**MO, ANM,** /आषुय			
11	रिपोर्टिगं माह में प्रशिक्षित पियर एजुकेटरों की संख्या			
12	इस वित्तिय वर्ष में अब तक कुल प्रशिक्षिय पियर एजुकेटरां की संख्या			
13	कुल नामांकित पियर एजुकेटर में से पियर एजुकेटर किट प्राप्त पियर एजुकेटरों की संख्या।			

क्रमांक	सूचक	योजनाबद्ध		वास्तविक		विभिन्नता	
		10-14yr	15-19yr	10-14yr	15-19yr	10-14yr	15-19yr
14	रिपोर्टिंग माह में ग्रामीण पियर एजुकेटर द्वारा भेजे गए स्कूल न जाने वाले किशोरों की संख्या						
15	रिपोर्टिंग माह में ग्रामीण पियर एजुकेटर द्वारा भेजे गए स्कूल न जाने वाली किशोरियों की संख्या।						
16	रिपोर्टिंग माह में ग्रामीण पियर एजुकेटर द्वारा भेजे गए स्कूल जाने वाली किशोर की संख्या।						
17	रिपोर्टिंग माह में ग्रामीण पियर एजुकेटर द्वारा भेजे गए स्कूल जाने वाली किशोरियों की संख्या।						
18	रिपोर्टिंग माह में ग्रामीण पियर एजुकेटर द्वारा भेज गए कुछ किशोर व किशोरियों की संख्या।						
किशोर समुह के साथ पियर शिक्षण पत्र							
19	रिपोर्टिंग माह में पियर एजुकेटर द्वारा की गई बैठकों की संख्या						
20	इस वित्तिय वर्ष में अब तक कुछ पियर एजुकेटर द्वारा की गई बैठकों की संख्या						
21	रिपोर्टिंग माह में हर पियर एजुकेटर बैठक की औसत उपस्थिति दर						
रैफरल							
22	रिपोर्टिंग माह में किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक पर भेजी गई किशोरियों की संख्या						
23	रिपोर्टिंग माह में किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक पर भेजी गई किशोरयों की संख्या						
किशोर अनुकूल मित्रता समूह (AFC)							
24	रिपोर्टिंग माह में बनाए गए किशोर अनुकूल स्वास्थ्य समुहों की संख्या।						

फार्म 5

पियर एजुकेटर का मासिक रिपोर्टिंग फोर्मेट

महिना/साल:.....

पियर एजुकेटर का नाम .....

फोन न0 .....

माता पिता का नाम .....

व पता: .....

गाँव का नाम .....

पियर शिक्षण का प्रशिक्षण (प्राप्त/नही) .....

जागरूकता बैठकों में गया अथवा नही .....

AFC की मासिक बैठक में गया अथवा नहीं .....

कुल नामांकित किशोरों की संख्या .....

किशोर समूह का प्रकार स्कूल जाने वाले/स्कूल नहीं जाने वाले .....

लड़का/लड़की .....

इस माह की गई पीयर शिक्षण बैठकों की संख्या .....

औसत उपस्थिति दर .....

क्रमांक	पियर शिक्षण बैठकों की तीथि व समय	पियर शिक्षण बैठकों में आने वाले किशोरों की संख्या

किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक (AFHC)में भेजे गए किशोरों की संख्या

.....

कोई अन्य गतिविधि का जैसे किशोर स्वास्थ्य दिवस (AHD) की तारिखें व समय .

.....

फार्म 6 पियर शिक्षण सत्र का फॉर्मेट

प्रत्येक से विचार विमर्श के लिए

तिथि/माह/वर्ष.....

क्रमांक	आने वाले किशोर/हितधारकों का नाम (गोपनीय रखने योग्य)	लिंग (पु/स्त्री)	आयु	विचार विमर्श किए गए मुद्दे/समस्याएं	रैफरल (अगर हो)

समुह में विचार विमर्श के लिए

तिथि/माह/वर्ष.....

क्रमांक	स्थान	प्रतिभागियों के नाम	लिंग	आयु	विचार विमर्श किए गए मुद्दे/समस्याएं	रैफरल (अगर हो)

साप्ताहिक संकलन सूची

माह/वर्ष .....

सप्ताह	दिन							
	सोम	मंगल	बुध	वीर	शुक्र	शनि	रवि	कुल
सप्ताह - 1								
बैठक में आने 10 - 14 वर्ष के सभी किशोर व किशोरियां की संख्या।								
बैठक में आने 15 - 19 वर्ष के सभी किशोर व किशोरियां की संख्या।								
की गई सामुहिक बैठको की संख्या								
मित्रता क्लिनिक पर भेजे गए कुल किशोर व किशोरियां की संख्या								
पोषण संबंधि समस्याएं								
मानसिक स्वास्थ्य सम्बंधि समस्याएं								
यौन एव प्रजनन स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं								
क्षति/हिंसा								
नशावृति								
सामान्य स्वास्थ्य समस्याए								
परामर्श								
कुल आयोजित सामुदायिक जागरूकता शिविरों की संख्या								

पियर एजुकेटर के लिए कार्य योजना/ विषय सूची
(एक से अधिक किशोर समूह वाले पियर एजुकेटर के लिए)

विषय जो सामुहिक सत्र विचार में विमर्श किए जाएंगे जो विचार विमर्श हो चुके हैं उन्हे चिन्हित करें व अन्य को काट दें।
सत्र के पूर्व व पश्चात की जानकारी किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के बारे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के बारे में जानकारी पियर एजुकेटर एवं उनके सहायको के बारे (आशा, ए.एन.एम आदि) के बारे में जानकारी सूचना व सेवा प्रदान करने वालों के बारे,के बारे मे जानकारी (रैफरल सेवा भी)

किशोरावस्था में होने वाले बदलाव	माहवारी	स्वप्न दोष	व्यक्तिगत स्वच्छता
लिंग पहचान	विभिन्नता	पौषणा की कमी व एनीमिया	जीवनशैली से संबंधी स्वास्थ्य दुष्परिणाम
सहपाठी से जुझने	नशावृति से बचाव (शराब व सिगरेट)	भावना व उदासीनता	क्षति व हिंसा को कम करना
बाल विवाह	कम आयु में गर्भ धारण से बचाव	प्रजनन व यौन रोग	एच.आइ.वी./एड्स से बचाव
बच्चों व किशोरों पर हो रही हिंसा से बचाव	लिंग आधारित हिंसा	अपने अधिकारो व कर्त्तव्यो को जानना	सामुदायिक स्वच्छता

5 किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक के लिए परिचालक दिशा निर्देश

राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (आर.के.एस.के.) के लिए ज़िला नौडल अधिकारी के लिए दिशानिर्देश

किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक:

हरियाणा राज्य में यह क्लिनिक मित्रता क्लिनिक के नाम से चलाए जाते हैं।

मौजूदा स्वास्थ्य व्यवस्था में कुछ परिवर्तन के साथ किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक किशोरों (10 – 19 वर्ष) को उपचारात्तमक एवं परामर्श सेवाऐं प्रदान करने के लिए चलाए जाते हैं। इन क्लिनिकों के लिए मौजूदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के प्रशिक्षण, एक परामर्शदात्ता (काउंसलर) की नियुक्ति, व अन्य आवश्यक दवाईयाँ जैसे आई.एफ.ए., एलबेंडाजोल व गर्भ निरोधक आदि उपलब्ध होने चाहिए। किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक में निम्नलिखित विषयों पर परामर्श दिया जाऐगा: –

- पोषण
- यौन एवं प्रजन्न स्वास्थ्य
- मानसिक स्वास्थ्य
- युवाओं में हिंसा की भावना
- युवाओं में बढ़ती नशावृति व इसके दुष्परिणाम
- गैर संचारी बिमारिया (**NCD**) जैसे हृदय सम्बंधी विकार/ उच्च रक्तचाप(**Hypertension**) मधुमेह (**Diabetes**) घात(स्ट्रोक)
- शिक्षा एवं रोजगार जानकारी
- शरीर में सम्बंधित मुद्दे, शारीरिक विकास व स्वच्छता की जानकारी।
- माहवारी स्वच्छता
- यौन संक्रमित बिमारियां जैसे **HIV/AIDs**

किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक को जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्थापित किया जाना है। ज़िला अस्पताल व समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों) में एक परार्मशदाता की नियुक्ति की जानी है व प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर प्रशिक्षित आयुष डाक्टरों द्वारा संचालन किया जाना है। सभी किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक प्रतिदिन चलाये जाने है।

अस्पताल के मुख्य प्रवेश द्वार व क्लिनिक के प्रवेश द्वारा पर मित्रता क्लिनिक का साईन बोर्ड लगाना आवश्यक है। यह इस प्रकार से होगा: –

मित्रता क्लीनिक
किशोर व किशोरियों के लिए विशेष सलाह व जाँच सुविधा केन्द्र
(प्रतिदिन अस्पताल के समय अनुसार)

किशोर क्लीनिक का सर्विस पैकेज

	सर्विस पैकेज	ज़िला अस्पताल	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	आऊट रीच
जानकारी	आई.ई.सी जानकारी इन विषयों पर पोषण, यौन और प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, लिंग आधारित हिंसा, गैर संचारी बीमारियां, नशावृति	✓	✓	✓	✓
वस्तुएं	आई.एफ.ए (आयरन की गोली) /एलबेनडाज़ोल/ सेनीटरी नेपकिन/ गर्भनिरोधक	✓	✓	✓	✓
	दूसरी दवाईयां (जैसे पेरासीटामोल और प्राथमिक चिकित्सा किट)	✓	✓	✓	✓
सेवाएं	बी. एम.आई स्क्रीनिंग	✓	✓	✓	
	एच.बी और अनीमिया की जाँच	✓	✓	✓	✓
	आर.टी.आई /एस.टी.आई की रोकथाम	✓	✓	✓	✓
	गर्भवती किशोरी की प्राक्-प्रसव की देखभाल	✓	✓	✓	✓
	पोषण, चमड़ी रोग,शादी से पहले परामर्श, यौन समस्याए, गर्भ निरोधक तरीके, गर्भपात, नशा वृति, अध्यनन संबधित समस्याए, चिंता, उदासीनता, आत्म हत्या की प्रवृति, हिंसा, यौन शोषण, अन्य मानसिक समास्याओं पर परामर्श	✓	✓	✓	✓
	अन्य किशोरावस्था से सम्बंधित स्वास्थ्य सेवाएं जिसमें शामिल है माहवारी सम्बंधित विकार, क्षति (हिंसा व दुर्घटना) और गैर संचारी बिमारिया जैसे कि उच्च रक्तचाप, घात हृदय रोग व मधुमेह	✓	✓	✓	

विशेषज्ञ द्वारा उपचार	✓	✓	✓	
रैफरल	✓	✓	✓	

किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिकों को चलाने के लिए प्रास्तावित समय

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	ज़िला अस्पताल	मेडिकल कॉलेज
प्रतिदिन क्लिनिक अस्पतालों के समय अनुसार आयुष डाक्टरों या डेटल सर्जनों द्वारा या ए.एन.एम. द्वारा (जहां एमओ भी उपलब्ध नहीं होगा वहां एएनएम क्लिनिक की इंचार्ज होगी	प्रतिदिन सबुह 9:00 से शाम 4:00 बजे तक /2 घंटे का क्लिनिक 2 से 4 शाम तक ए.एम.ओ और स्टाफ नर्स के सहयोग से	प्रतिदिन सुबह 9:00 से शाम 4:00 बजे तक प्रतिदिन/2 घंटे का क्लिनिक 2 से 4 शाम तक ए.एम.ओ और ए.एन.एम के सहयोग से	परामर्श दाता और विशेषता क्लिनिक विशेषज्ञों द्वारा प्रतिदिन सबुह 9:00 से दोपहर 1:00 बजे तक और

* सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर स्टाफ नर्स/एएनएम बारी बारी ड्यूटी देंगी। उनकी ड्यूटी PMO/Dy. CMO द्वारा लगाई जाएंगी।

किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक कार्यकर्त्ता

	ज़िला अस्पताल	समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	आऊटरीच
कार्य कर्त्ता	1. एम.ओ 1 स्त्रीरोग विशेषज्ञ 1. एस.टी.आई. विशेषज्ञ 1. मानसिक रोग विशेषज्ञ 2 स्टाफ नर्स 1. कांऊसलर	1. आयुष एम.ओ 1 स्त्रीरोग विशेषज्ञ 1. एस.टी.आई. विशेषज्ञ 1. मानसिक रोग विशेषज्ञ 1. कांऊसलर	आयुष एम.ओ या डेंटल सर्जन	1. ज़िला अस्पताल परामर्शदाता 1. सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्र का परामर्शदाता 2. स्टाफ नर्स

* इन सभी स्वास्थ्य केन्द्रों के अधिकारियों के प्रशिक्षण के बारे में पेज नं 15 पर दिया गया है।

किशोर अनुकूल स्वस्थ्य क्लिनिक का वातावरण किशोरों को दी जाने वाली सेवाओं का उपयोग करने के लिए सक्षम होना चाहिए। सभी सेवाऐं उपलब्ध होनी चाहिए। भौतिक व शारीरिक रूप से सुलझा होना चाहिए। प्रदाताओं को सभी सेवाऐं एकान्त में प्रदान करना होगा और किशोरों के बारे में जानकारी गोपनीय रखनी होगी। यदि मित्रता क्लिनिक में आने वाला कोई किशोर अपनी पहचान व पता गोपनीय रखना चाहे या ना बताना चाहे उस अवस्था में उसे भी आदरपूर्वक सेवा प्रदान की जाएगी।

मित्रता क्लिनिक में आने वाले जिन किशोर व किशोरियों को किसी प्रकार की चिकित्सकीय परामर्श की आवश्यकता होती है तब उसे उस समस्या से सम्बंधित विशेषज्ञ चिकित्सक के पास एक रैफरल स्लिप के साथ भेज सकते हैं जिससे किशोरों को चिकित्सा व परामर्श में प्राथमिकता दी जाएगी।

किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक सभी ज़िला अस्पतालों, समुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, मेडिकल कॉलेजों में स्थापित किए जाएंगे।

किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक के रजिस्टर का प्रारूप निम्न दिया गया है:

- क्लीनिक की पर्ची/स्लीप: – क्लिनिक में आने वाले प्रत्येक किशोर व किशोरी को यह स्लीप दी जाएगी। इस स्लीप पर उसका पंजीकरण नंबर लिखा जाएगा। परामर्शदाता प्रारम्भिक निष्कर्षो के बारे में लिखेगा। इसके उपरान्त चिकित्सक द्वारा दिए गए उपचार का विवरण लिखा जाएगा। यह पर्ची/स्लिप किशोर को दी जाएगी इस पर्ची व स्लीप का प्रारूप निम्न प्रकार से है: –

मित्रता क्लीनिक की पर्ची/स्लीप

नाम _____ पंजीकरण न0 _____

पता _____ तिथि _____

कद _____ वज़न _____

आयु _____ लिंग _____

स्कूल जाने वाला/स्कूल छोड़ चुका _____

वैवाहिक स्थिति _____

समस्या (यहाँ परामर्शदाता केवल किशोर को जिस शरीरिक समस्या का सामना करना पड़ा उस के बारे में लिखेगा)

_____

_____

_____

उपचार (डाक्टर द्वारा भरा जाएगा) _____

_____

_____

_____

परामर्शदाता द्वारा दी गई सलाह _____

_____

_____

_____

फोलो अप करने की आवश्यकता हाँ/नहीं _____

कितनी बार फोलो अप हुआ _____

रैफरल विवरण _____

_____

नामांकन और नैदानिक रजिस्टर

तिथि _____

स्जीस्टरेशन (पंजीकरण) नं0 _____

नाम _____

गाँव _____

लिंग _____

कद (फुट/इंच)/वज़न (किलो ग्राम) _____

वैवाहिक स्थिति _____

स्कूल जाने वाला/स्कूल छोड़ चुका या न जाने वाला किशोर _____

शारीरिक समस्या की प्रकृति _____

उपचार _____

_____

दवा/आइ.एफ.ए./गर्भ निरोधक/ सेनिटरी नेपकिन _____

_____

रेफरल _____

- **परामर्श रजिस्टर:** – परामर्शदाता द्वारा भरा जाएगा
- स्टाक स्जिस्टर: – (मौजूदा उपयोग होने वाला फॉरमेट) यह रजिस्टर भी कांऊसलर के पास ही रहेगा।

ये निर्देशित किया जाता है कि किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के ज़िला नोडल अधिकारी सभी परामर्शदाता को सर्पोटिव सुपरविज़न प्रदान करेंगे। सभी जिलों को हर तीन महीने पर सभी परामर्शदाताओं से बैठक करनी होगी। जिसमें वह परामर्शदाताओं को पेश आई परेशानियों अथवा अन्य समस्याओं के बारे में चर्चा करेंगे।

- सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राथमिक स्वस्थ्य केन्द्र, मेडिकल कॉलेजों व सब डिविज़नल अस्पतालों में चल रहे किशोर अनुकूल स्वास्थ्य केन्द्रों की संगठित रिर्पोट महीने की 10 तारीख तक ज़िला नोडल अधिकारी को पहुँचानी होगी।
- सभी जिलों को उनके यहाँ चल रहे मित्रता क्लिनिक की संगठित रिर्पोट महीने की 15 तारीख तक राज्य किशोर स्वास्थ्य विभाग को पहुँचानी होगी।
- आखिर में राज्य को सभी ज़िलों की संगठित रिर्पोट भारत सरकार को हर तीन महीने पर देनी होगी।

गुणवत्ता आश्वासन

किशोरों को दी गई सेवाओं की गुणवता सुनिश्चित करने के लिए यह निर्देशित किया जाता है कि किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के ज़िला नोडल अधिकारी को निम्नलिखित स्वास्थ्य केन्द्रों पर तीन माह में एक बार आवश्यक दौरा करना होगा:

- सभी किशाोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक
- 10% प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के किशाोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक

स्वास्थ्य केन्द्रों के दोरे पर ज़िला नोडल अधिकारी को निम्नलिखित वस्तुओं की समीक्षा करनी होगी: –

- परामर्श रजिस्टर
- चिकित्सक व परामर्शदाता कार्यो की समीक्षा करे।
- क्लिनिक में आने वाले किशोरों को प्रदान की गई सेवाओं के बारे में उनकी संतुष्टि का विवरण लें।
- पियर एजुकेटरों से मिले व उनसे बैठक करें।

रिर्पोटों के आधार पर सभी परामर्शदाता को उनके कार्य के अच्छे व खराब पहलुओं पर प्रतिक्रिया दें।

परामर्शदाता की भर्ती व भूमिका

★ किसी युवा की जरूरतों व परशोनियों को समझना व उनका समाधान करने में परामर्शदाता की भूमिका बहुत महत्त्वपूर्ण है ताकि वह किशोरों की समग्र, भावनात्मक और शारीरिक भलाई सुनिश्चित कर सके।

★ परामर्श सेवाओं की गुणवत्ता मुख्य रूप से परामर्शदाता के ज्ञान, उनका रवैया और उसके कौशल पर निर्भर है व इस कारण कांऊसलरों का चयन और नियुक्ति बहुत महत्त्वपूर्ण है। एक काऊसलर में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए।

1) 45 साल की आयु तक।
2) गोपनीयता व एकांत में परामर्श दें।
3) खुले विचारों वाला, करूणामयी और किशोरों की बात सुनने को तैयार हों और उनसे सलंग्न कर सकें।

★ परामर्शदाता किशोरों की समस्याओं के प्रति स्वयं के अनुमान निर्मित न करें।

★ परामर्शदाता को अपना दृष्टिकोण प्रगीतशील रखते हुए किसी भी परिस्थिति में किशोर पर अपने विचारो को लागू करने का प्रयास नहीं करना चाहिए।

★ उसकी योग्यता सामाजिक कार्य या मनोविज्ञान में परास्नातक होनी चाहिए।

★ परामर्शदाता एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको सेवाओं से संबंधित कानूनों, नीतियों और प्रक्रियाओं की स्पष्ट समझ हो। सेवाऐं जैसे कि गर्भ निरोधक सेवाएँ, गर्भपात, **STI/HIV** का प्राक्षीण और उपचार, मानसिक स्वास्थय का प्रबंधन, यौन उत्पीड़न/घरेलू हिंसा जैसे मस्ले इत्यादि।

★ परामर्शदाता की भर्ती के लिये एक बोर्ड या पैनल गठित होना चाहिये। जिसमें किशोर स्वास्थ्य के विशेषज्ञ हों। इनकी भर्ती की प्रक्रिया में चार मुख्य चरण शामिल होने चाहिए।

1) प्रारम्भ में उम्मीदवारों की आयु, शैक्षणिक योग्यता और पिछले कार्य के अनुभव को ध्यान में रखते हुए चयन किया जायेगा। इसके उपरांत समूह चर्चा करायी जाएगी जिसमें कि चयन किऐ गऐ उम्मीदवारों को 4 – 5 के लोगों के समूह में विभाजित किया जायेगा और उनसे एक मामले पर चर्चा करवाई जायेगी और जो उम्मीदवार उपयुक्त प्रतिक्रिया देगा, समझदारी दर्शाये और जिसमे नेतृत्व गुण हो उसे अगली प्रक्रिया/दौर के लिए आमंत्रित किया जाये।

2) इसके उपरांत पैनल द्वारा एक अंतिम व्यक्तिगत साक्षात्कार ली जायेगी जिसमें सही उम्मीदवार की उपयुक्ता निर्धारित की जायेगी। यह चयन उम्मीदवार की उम्मीदों, उपलब्धता और वे यह काम क्यों करना चाहते हैं, जैसे विषयों पर आधारित होगी ।

परामर्शदाता का प्रशिक्षणः –

परामर्शदाता को तीन दिनों का प्रशिक्षण एस.आई.एच.एफ.डबलयू (**SIHFW**) में किशोर स्वस्थ्य के विशेषज्ञों द्वारा प्रदान किया जाएगा।

किशोर अनूकुल क्लिनिक (ए.एफ.एच.सी.) का बुनियादी ढाँचे का प्रारूप

किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक में मुख्य तौर पर दो प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिए। यह निम्न प्रकार से हैः –

एक सुखद और आमंत्रित जगहः किशोर स्वास्थ्य क्लिनिक का बाहरी प्रारूप किशोरों को क्लिनिक में आरामदायक महसूस कराने के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। एक आम स्वास्थ्य केन्द्र किशोरों को आकर्षित न करे, परंतु एक रंगीन दिवार व रंगीन फर्नीचर, आकर्षित व उज्ज्वल पोस्टर, एल.सी.डी स्करीन उपयुक्त स्वास्थ्य संदेश इत्यादि केन्द्र को आकर्षित बना सकते हैं।

★ **एकांतः –** वैश्विक अध्ययनों ने यह जागरूक किया है किशोरों को स्वास्थ्य केन्द्र में मुख्य दो तरह की उम्मीदें होती हैं। (क) वह चाहते हैं कि उन्हे सम्मान दिया जाए और (ख) गोपनियता बरती जाए। इस प्रसंग को ध्यान में रखते हुए किशोर अनुकूल स्वास्थ्य केन्द्र (ए.एफ.एच.सी) को सामान्य ओ.पी.डी से अलग बनवाना चाहिए। एकांत और गोपनीयता बनाए रखने का प्रयास करना चाहिए ताकि किशोर निःशंकोच इन क्लिनिक पर आएं।

प्रदर्श: किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक (ए.एफ.एच.सी.) के मानक

- ★ साफ, रंगीन और उज्जवल जगह
- ★ किशोर आसानी से यहाँ पहुँच सकें
- ★ किशोर को इनकी उपस्थिति व इनमें दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी हो
- ★ निरयक्ष और सक्षम सेवा प्रदाता
- ★ एकांत व गोपनीयता
- ★ समुदाय के सदस्यों को यहाँ दी जाने वाली सेवाओं की जानकारी हो और वह इन सेवाओं को प्रदान करने की आवश्यकता को भी समझे

प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

- ★ आदर्श रूप में परामर्श व उपचार के लिए एक अलग कमरा होना चाहिए। अगर अलग कमरा उपलब्ध नहीं है तो किशोर क्लीनिक ओ.पी.डी. की जगह पर ही चलाया जाए परंतु सामान्य ओ.पी.डी. के समाप्त होने के उपरान्त।
- ★ यह भी प्रयास किया जा सकता है कि क्लीनिक के बाहर एक छोटा इंतजार का क्षेत्र हो जो कि रंगीन हो और आई. ई.सी सामग्री जैसे कि स्थानीय भाषा में पोस्टर, पुस्तिकाएं और पेंफलेट उपलब्ध होने चाहिए। एक स्क्रीन का प्रबंध भी किया जाए जिससे कि ऑडियो विज़युल सामग्री यानि कि किशोरों को छोटी फिल्में दिखाई जा सकें।

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

ज़िला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक का (ए.एफ.एच.सी.) अंदरूनी प्रारूप प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के ए.एफ.एच.सी. के जैसा ही होना चाहिए।

निगरानी व सपोरटिव सुपरविज़न

यह अनुभाग उपयुक्त उपकरण और रिर्पोटिंग प्रारूपों के जरिए किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक की निगरानी को दिशा निर्देश प्रदान करता है।

अवलोकन

राज्य और ज़िलों को नियमित रूप से निम्नलिखित संकेतकों के आधार पर ए.एफ.एच.सी. की कामकाज की मोनिटरींग करनी होगी।

- ★ प्रतिमाह क्लीनिक में आने वाले किशोरों की संख्या
- ★ समुदाय से रैफर होकर, किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक में आने वाले किशोरों की संख्या
- ★ योजित किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक के मुकाबले स्थापित किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक की प्रतिशत व संख्या
- ★ यौन संबधित समस्याओं आर.टी.आई/एस.टी आई, के लिए किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक में आने वालों किशोरों की संख्या
- ★ मानसिक, स्वास्थ्य संबंधी, चिंताओं, गर्भपात की देखभाल
- ★ योजित किशोर स्वास्थ्य परामर्श दाताओं के मुकाबले नियुक्त परामर्श दाता
- ★ योजिक प्रशिक्षत परामर्श दाताओं के मुकाबले वास्तव में प्रशिक्षत परामर्श दाता
- ★ कुल किशोरों की संख्या के अनुपात परामर्श दाताओं की संख्या
- ★ विभिन्न अभिलेखों और रजिस्टरों द्वारा प्रत्येक किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक के आंकड़ें इक्ट्ठा करना।

जहाँ तक संभव हो वहाँ तक नियमित रूप से किशोरों की किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक में प्रदान की जाने वाली सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रतिक्रिया ली जाए।

विभिन्न मंत्रालयों में किशोर स्वास्थ्य और विकास के मुख्य कार्यक्रम और अंतरविभागीय तालमेल के सुझाव क्षेत्र

राज्य सरकार	कार्यक्रम	निचले स्तर के सम्बंध
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	★ परिवार नियोजन ★ मातृ स्वास्थ्य ★ एड्स रोकथाम कार्यक्रम ★ तम्बाकू रोकथाम कार्यक्रम ★ मानिसक स्वास्थ्य कार्यक्रम ★ गैर सरकारी रोगों का कार्यक्रम ★ स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम	**एड्स रोकथाम कार्यक्रम: –** परिवार नियोजन और मातृ स्वास्थ कार्यक्रम के साथ मौजूदा समंबन्धों को मजबूत बनाए ताकि उनसे मौजूदा कार्यक्रमों और स्कीमों :परामर्श सेवाओं और वस्तुओं (कामोडिज़) इत्यादि की जानकारी ली जा सके। **परिवार नियोजनः –** गर्भनिरोधकों का प्रावधान और किशोरों के लिए गर्भावस्था जाँच किट, स्वास्थ्य कर्मचारियों का किशोरों की विभिन्न गर्भ निरोधक जरूरतों के ऊपर प्रशिक्षण: आशा वैवाहिक किशोरों को पहले गर्भावस्था में देरी लाने के लिए समझाना। **मातृस्वास्थ्यः –** जन्म की तैयारियों और जटिलताओं की रोकथाम के लिए किशोर गर्भावस्था की ट्रैकिग। **स्कूल हेल्थ कार्यक्रमः –** मानसिक स्वास्थ्य समंबधी समस्याओं जैसे कि उदासीनता, आत्महत्या की प्रवृत्ति, नशावृति के जोखिम और गैर संचारी रोगों की सार्वभौमिक स्क्रीनिंग के लिए किशोर स्वास्थ्य और स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम से लिंकेज, पियर एजुकेटरों को सार्वभौमिक स्क्रीनिगं के लिए शामिल करना।

राज्य सरकार	कार्यक्रम	निचले स्तर के सम्बंध
		मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रमः – रेफरल सेवाओं के लिए, ज़िला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम और मेडिकल कॉलजों के मनोचिकित्सा विंग के साथ, अच्छी तरह से परिभाषित सम्बंध स्थापित करें। **कैंसर,हृदय रोग, मधुमेह और घात जैसी बीमारीयों की रोकथाम और नियंत्रण कार्यक्रमः –** जिला अस्पताल और सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में गैर संचारी बिमारियों के क्लीनिक से सम्बंध, आयुष मेडीकल अफसरों, ए.एन.एम, स्टाफ नर्सो, अध्यापकों और पियर एजुकेटरों के प्रशिक्षण मॉडयूल में गैर संचारी रोगों की रोकथाम अध्याय शामिल करें। **तंम्बाकू रोकथाम कार्यक्रम : –** पीयर एजुकेंटरों, रोल मॉडलस और तंम्बाकू रोकथाम कार्यक्रम की स्कूल आधारित गीतिविधियों द्वारा तम्बाकू प्रयोग को खत्म करने के लिए व्यवहार परिवर्तन की चेषटा करें। स्वास्थ्य संवर्धन के लिए सेवा प्रंदाताओ/ स्वंयसेवकों, स्कूल के आंगनवाड़ी कार्यकताओ और टीन क्लबों को प्रशिक्षत करें।
महिला एवं बाल विकास	★ आई.सी.डी.एस. ★ किशोरी शक्ति योजना (के.एस.वाई) ★ बालिका संबन्धी योजना (बी.एस.वाई) ★ राजीव गांधी किशोरी स्शक्ति करण स्कीम (सबला) ★ स्वाधार स्कीम	★ स्कूल से बाहर हो चुकी किशोरियों व स्कूल न जाने वाली किशोरियों के लिए आगंनवाड़ी सेंटर गतिविधियों का केन्द्र होगा (सबला व के.एस.वाई. के प्लेट फार्म के ज़रिए) ★ शादी की कानूनी उम्र पर सामुदायिक जागरूकता लाने के लिए बालिका समृद्वि योजना से सम्बंध

प्रदेश सरकार	कार्यक्रम	निचले स्तर के लिंकेजस
		★ किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम के क्षेत्रों में जैसे कि पोषण, स्वस्थ्य जीवन शैली, किशोरों को सूचित / प्रभावित करने के लिए यौन और प्रजनन स्वास्थ्य जैसे विषयों पर प्रशिक्षित किया जाए
सेवा प्रदातओं और समुदाय		★ आगनवाड़ी कार्यकर्त्ता सबला के तहत जब आवश्यक हो तब पीयर एजुकेटरों का चयन व संरक्षक करें, सखी सेहली का उपयोग करें ★ प्रत्येक तिमाही पर होने वाले किशोर स्वास्थ दिवस पर आंगनवाड़ी और आशा कार्यकर्त्ता, पोषण और यौन और प्रजन्न स्वास्थ्य पर सत्र आयोजित करें (सबला जिलों में यह गतिविधि किशोरी दिवस पर की जा सकती है ★ इसके अतिरिक्त आंगनवाड़ी कार्यकताओं को बी.एम.आई की और हथेली के पीलेपन की स्क्रीनिंग और वी. फस(WIFS) का कार्यान्वयन और किशोरियों को स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं और सुविधाओं पर रेफर करना होगा ★ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को गर्भवती किशोरियों की पूरक पोषण और प्रांरिभक पंजीकरण भी कराना होगा। ★ ए.न.एम. को प्रशिक्षित करने के लिए सबला माड़यूल का उपयोग
शिक्षा विभाग	★ किशोर शिक्षा कार्यक्रम ★ ए.एस.एस.ए के तहत एम.डी. एम स्कीम ★ रमसा	किशोर शिक्षा कार्यक्रम के तहत सभी माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्ययालय कवर होंगे। किशोर शिक्षा कार्य क्रम में प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा इन विषयों पर स्वास्थ्य शिक्षा दी जाएगी। यौन और प्रजन्न स्वास्थ्य एच.आई.वी./एड्स

प्रदेश सरकार	कार्यक्रम	निचले स्तर के लिंकेजस
		यौन और नशावृति के दुरूपयोग ★ शिक्षकों द्वारा पियर एजुकटरों का चयन व संरक्षक – प्रोत्साहन आधारित गतिविधि ★ शिक्षक पोषण, यौन और प्रजन्न स्वास्थ्य, नशीले पदार्थो का दुरूपयोग, मानसिक स्वास्थ्य, गैर संचारी रोगों से संबंधित किशोरों के मुद्दों पर मार्गदर्शन और परामर्श प्रदान करने के लिए पहला संपर्क बिंदु होंगे। ★ वी.फस के नोडल शिक्षकों को पोषण स्वास्थ्य और शिक्षा के सत्र आयोजित करने होगे। ★ साक्षर भारत से पोषण के बारे में जानकारी के लिए सम्बंध। ★ माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम में मानसिक स्वास्थ्य नशावृति, गैर संचारी रोगों, और हिंसा जैसे विषयों को शामिल करना होगा। ★ विद्यालयों से पीयर एजुकेटरों का नामांकन और छात्रवृत्ति और प्रंशसा प्रमाण पत्र का प्रावधान ★ किशोर स्वास्थ्य क्लीनिकों पर प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में जागरूकता लाने के लिए विद्यालयों को एक मंच के रूप में उपयोग किया जा सकता है।
युवा मामले और खेल	★ किशोर सशक्तिकरण योजना ★ राष्ट्रीय सेवा योजना ★ नेहरू युवा केन्द्र कार्यक्रम ★ एन.पी.वाई. ए.डी.	★ जिन किशोरों ने 45 दिनों का जीवन कौशल शिक्षा का प्रशिक्षण लिया होगा वह पियर एजुकेटरों का समूह बना सकते हैं। ★ राष्ट्रीय किशोर और किशोर विकास कार्यक्रम के माध्यम द्वारा किशोरों के लिए टेलीफोन पर परामर्श सेवाएं प्रदान की जा सकती है। ★ किशोर स्वास्थ्य और विकास के बारे में

प्रदेश सरकार	कार्यक्रम	निचले स्तर के लिंकेजस
		जिला युवा कोरडीनेटरों और परियोजना कोरडीनेटरों को प्रशिक्षत किया जा सकता है।

6 किशोर स्वास्थ्य दिवस

भूमिका : (किशोर स्वास्थ्य दिवस)
(Adolescent Health Day)

किशोर स्वास्थ्य दिवस राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य रणनीति का एक महत्वपूर्ण घटक है। इसके मुख्य उद्देश्य है: –

★ किशोरों में उनके स्वास्थ्य संबंधी आवश्यक निवारक और बचाव उपायों को बढ़ावा देना।

★ किशोरों में पौषक, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, चोटें तथा हिंसा (लिंग आधारित हिंसा भी) नशावृति और असंक्रमक बिमारियों (**NCDs**) के विषय में जागरूक करना है।

★ किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक (मित्रता क्लिनिक)के बारे में खास तौर पर तथा अन्य किशोर स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं के बारे में जानकारी देना।

यह किशोर स्वास्थ्य दिवस राज्य के प्रत्येक गाँव में हर त्रिमाही पर किसी भी सुविधाजनक दिन (खासतौर पर रविवार को) अथवा **VHND** के दिन के साथ मनाया जायेगा। सबला जिलों में, यह दिवस किशोरी दिवस के साथ मनाया जायेगा। यह दिवस आँगनवाड़ी सेंटर या किसी भी सामुदायिक स्थान पर मनाया जायेगा।

किशोर स्वास्थ्य दिवस पर सेवायें प्रदान करने से निम्न सभी किशोर उप समूहों जैसे: – किशोर और किशोरियों, 10 – 14 वर्ष एवं 15 – 19 वर्ष के स्कूल जाने वाले एवं स्कूल न जाने वाले, किशोर एवं विवाहित किशोर उपस्थित हो। इसके इलावा अन्य हितधारको जैसे माता पिता, सामुदायिक नेता जैसे पंचायत व **VHSNC** के सदस्य, अध्यापक आदि को भी किशोर स्वास्थ्य संबधी जरूरतों को समझाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

उद्देश्य

यह पत्रिका किशोर स्वास्थ्य दिवस को गांव स्तर पर क्रियान्वित करने की मुख्य विधियों को दर्शाती है। इसका प्रथम भाग में किशोर स्वास्थ्य दिवस के समग्र परिचालन की रूपरेखा दी है। इसके बाद सेवा वितारण (जिसमें प्रदान की जाने वाली सेवाओं और संचालन विधि की जाँच सूची शामिल हैं) तथा अनुक्षवण का अलग उल्लेख किया गया है।

यह पत्रिका राज्य, जिला तथा ब्लॉक स्तर के कार्यक्रम मैनजरों को किशोर स्वास्थ्य दिवस प्रोग्राम समझने व कार्य करने में मदद करती हैं। इससे योजना बनाने में, कार्यन्वित करने में एवं अनुसरण करने में मदद मिलती है।

सबूत क पत्रिका का स्वरूप

संचालन विधि → सेवा वितरण एवं क्रियान्वयन → अनुक्षवण एवं पर्यवेक्षण → क्रियान्वयन प्रक्रिया

संचालन विधि

किशोर स्वास्थ्य दिवस

निश्चित दिन पर, पीयर एजुकेटर, आशा, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता और अन्य गैर सरकारी संगठन(FNGOs, जहां उपलब्ध हों), किशोरों माता पिता और अन्य हितधारकों को एकत्र करके पास के आंगनवाड़ी केन्द्र या अन्य किसी सामुदायिक स्थान पर एकत्रित करेंगे। लक्षित समूह के ध्यान आर्कषण एवं किशोर स्वास्थ्य पर जानकारी प्रदान करने हेतु मनोरंजक व उपयोगी कार्यकलापों का जैसे नाटक, लधु नाटिका, कठपुतली नाच आदि, का आयोजन करेंगे।

यह अत्यंत आवश्यक है कि किशोर स्वास्थ्य दिवस पर सेवाएं प्रदान करने तथा लक्षित समूह को किशोर स्वास्थ्य विषयों की जानकारी देने के लिए ए.एन.एम. व अन्य स्वास्थ्य अधिकारी वहाँ मौजूद हों। किशोर स्वास्थ्य दिवस पर, लक्षित समूह जैसे किशोर व किशोरियों इन स्वास्थ्य अधिकरियों से बातचीत करके प्रदान की जाने वाली सुविधाओं और अन्य आवश्यक जानकारी को प्राप्त कर सके। साथ ही वे किशोर स्वास्थ्य सम्बंधी निवारक एवं बचाव उपायों के बारें में भी विस्तृत जानकारी ले सके और वे किशोर अनुकूल स्वास्थ्य क्लिनिक पर जा कर सेवा प्राप्त करने के लिए प्रात्साहित है।

प्रदर्श 5.00 किशोर दिवस की आवश्यकताएँ

–

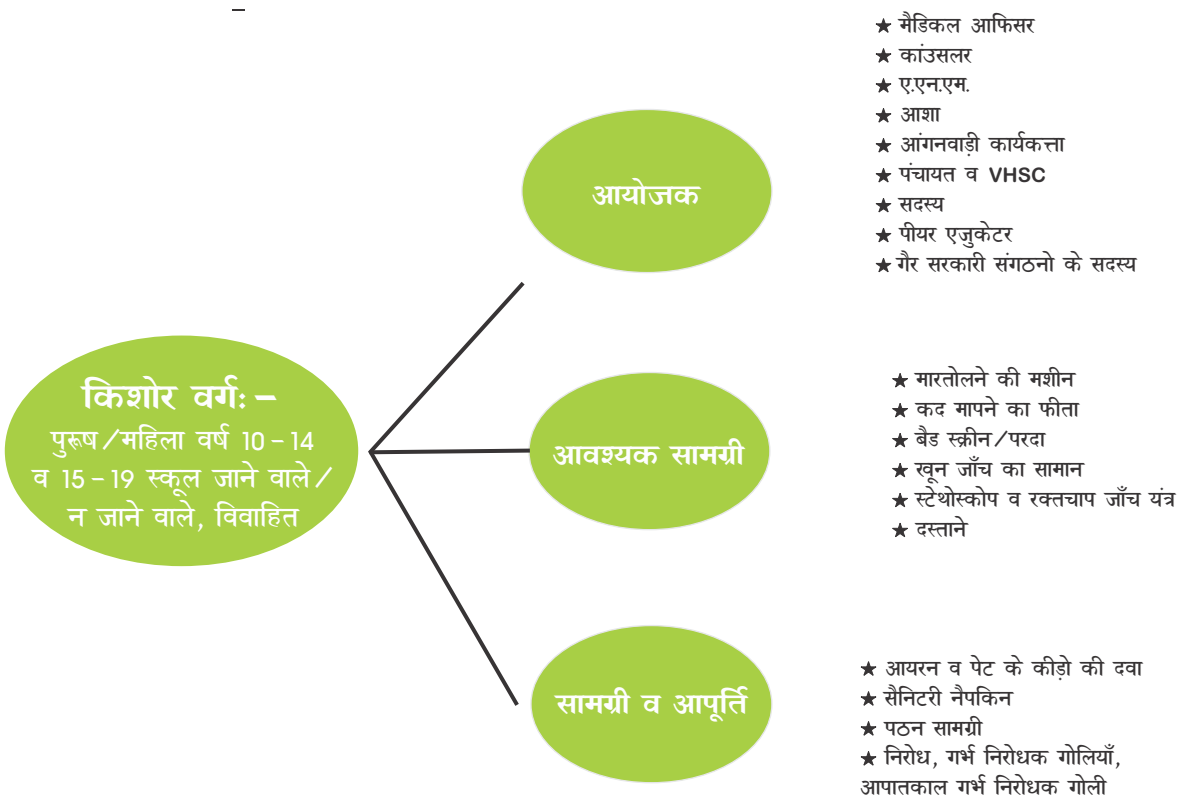

किशोर दिवस का प्रचार

किशोर स्वास्थ्य दिवस का प्रचार अत्यत अवश्यक है क्योंकि इससे ही सुनिश्चित हो गया कि सामुदाय में सभी किशोर व किशोरिया, माता–पिता व अन्य हितधारकों को इस दिवस पर मिलने वाली सेवाओं को पूरी तरह से जान सकेंगे। इसके लिए कई प्रकार के तरीके जैसे: – दीवारों पर लिखावट, विज्ञापऩ, परचे बांटना आदि प्रयोग में लाए जा सकते हैं। इन पर किशोर स्वास्थ्य दिवस का नियत दिन, समय, स्थान, एवं प्रदान की जाने वाली सेवाओं को साफ–साफ लिखा होना चाहिए।

सामुदायिक नेताओं जैसे पंचायत व **VHSNC** सदस्यों, क्षेत्र स्तर के कार्यकर्त्ताओं जैसे आशा, ए.एन.एम. आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता, पियर एजुकेटरों, क्षेत्रिय गैर सरकारी संगठन, सहायता समूहो व अध्यापकों द्वारा भी किशोर स्वास्थ्य दिवस के बारे में प्रचार किया जाना चाहिए।

लक्षित समूह: –

किशोर स्वास्थ्य दिवस सभी 10 – 19 वर्ष के किशोरों को लक्षित करता है (सबला जिलों में, किशोरी दिवस सिर्फ लड़कियों के लिये मनाया जाता है) आयु के आधार पर कुछ खास विषयों को ध्यान में रखते हुए, किशोरों को निम्न श्रेणियों में बाँटा जा सकता है: –

सबूत ख किशोर दिवस पर लक्षित समूह

लक्षित समूह: –

★ किशोरी 10 – 14 वर्ष
(स्कूल जाने व न जाने वाली)

★ किशोरी 15 – 19 वर्ष
(स्कूल जाने व न जाने वाली)

★ किशोर 10 – 14 वर्ष
(स्कूल जाने व न जाने वाले)

★ किशोर 15 – 19 वर्ष
(स्कूल जाने व न जाने वाले)

★ विवाहित किशोर/किशोरिया
(स्कूल जाने व न जाने वाले
15 – 19 वर्ष के)

किशोर स्वास्थ्य दिवस को अन्य हितधारकों जैसे माँ बाप, समुदायिक नेता आदि को किशोर स्वास्थ्य की जरूरतों को समझने का एक मंच सांझा किया जाना चाहिए।

प्रदान की जाने वाली सेवाएं

निम्न सेवाएं किशोर दिवस पर प्रदान की जायेगी (विस्तृत सूची प्रदर्श 5.00 में अंकित है)

सूचना: – – पौषण, यौन व प्रजनन स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, नशावृत्ति, लिंग आधारित हिंसा, गैर संचारी बीमारियों आदि विषयों पर सूचना, शिक्षा व परमार्श और अन्तर व्यक्तिगत संचार (IEC & IPC)

सामग्री: – सैनेटरी नैपक्नि, **IFA**, पेट के कीड़ों की दवा, गर्भ निरोधक

सेवाएँ:- रजिस्ट्रेशन, सामान्य स्वास्थ्य जाँच (**BMI**, अनीमिया, डायबिटिज़) कांऊसिलिंग व चिकित्सीय जाँच के लिए मित्रता क्लीनिक पर भेजना (काउसलिंग)

सबूत ग किशोर दिवस सेवाएं सूची

पौषणाहर संबधी (Nutrition Related)

★ **BMI** की जाँच
★ अनीमिया जाँच
★ **IFA** व पेट के कीड़ों की दवा (एल्वैंडाजोल)की उपलब्ध करवाना
★ विचार विमर्श व अंतर व्यक्तिगत संचार द्वारा पोषण व संतुलित आहार संबधी निर्देश
★ रेफरल

यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य (Sexual & Reproductive Health)

★ यौन एवं प्रजनन संक्रमण समबंधी बीमारियों के लिए परामर्श व चिकित्सीय सेवाएँ
★ सैनिटरी नैपकिनों का प्रावधान
★ गर्भ निरोधकों का प्रावधान (कोंडम, गर्भ निरोधक गोलियाँ, आपातकालिन गर्भ निरोधक
★ प्रजनन एवं यौन स्वास्थ्य जैसे यौन व प्रजनन संक्रमण, HIV& AIDs, गर्भ निरोधक, विवाह की आयु आदि के विचार विमर्श अंतर व्यक्तिगत संचार।
★ यौन व प्रजनन संक्रमण, गर्भपात, विवाहपूर्व कांउसलिंग, गर्भ निरोधक आदि पर परामर्श
★ काउसलिंग-गर्भवती को गर्भकालीन जाँचों के बारे
★ रेफर- मित्रता क्लीनिक/स्वास्थ्य क्लीनिक

मानसिक स्वास्थ्य (Mental Health)

★ मानसिक स्वास्थ्य संबंधी मुख्यत: आयु विशिष्त समस्याऐं एवं उनके निदान के विषयों पर विचार विमर्श व अंतर व्यक्तिगत संचार।
★ मानसिक स्वास्थ्य में खासतौर पर मानसिक दवाब, उदासीनता, आत्महत्या जैसे विषयों पर विचार विमर्श
★ नियमित परामर्श विषयों के लिए मित्रता क्लिनिक पर भेजना।

लिंग आधारित हिंसा (Gender Based Voilence)

★ लिंग आधारित हिंसा पर विचार विमर्श व अंतर व्यक्तिगत संचार।

गैर संचारी बिमारियाँ (Non Comminicable Diseases)

★ असंक्रामक बिमारियों, व्यायाम व स्वस्थ जीवन शैली व व्यक्तिगत स्वच्छता पर विचार विमर्श व अंतर व्यक्तिगत संचार।
★ आवश्यकता होने पर स्वास्थ्य क्लीनिक पर रैफर करना

नशावृत्ति से बचाव (Prevention of Substance Abuse)

★ नशा नशावृत्ति से बचाव संबंधी निर्देशों पर विचार विमर्श व अंतर व्यक्तिगत संचार।

किशोर स्वास्थ्य दिवस पर सूचना, शिक्षा व परामर्श एवं अंतर व्यक्तिगत संचार के विषय लक्षित समूह पर आधारित होने चाहिए जैसा प्रदर्श 5.00 में बताया है, इसके लिए नाटक, लघु नाटिका आदि द्वारा लक्षित समूह को मुख्य संदेश पहुँचाना शामिल है।

सबूत घ किशोर दिवस पर जानकारी

विचार विमर्श के विषय	किशोरियां		किशोर		विवाहित	अन्य हितधारक
	10 – 14	15 – 19	10 – 14	15 – 19		
पौषण (Nutrition)						
पौषण व संतुलित आहार की आवश्यकता पर परामर्श	✓	✓	✓	✓	✓	✓
अनीमिया के लक्षण व इलाज	✓	✓	✓	✓	✓	✓
यौन, प्रजनन एवं मातृ स्वास्थ्य (Sexual & Reproductive Health)						
किशोरों में यौन स्वास्थ्य विषयों पर आने वाली समस्यों व उनसे बचाव व इलाज	✗	✓	✗	✓	✓	✓
विवाह की सही आयु व कम आयु विवाह से आने वाली समस्याएं	✗	✓	✗	✓	✓	✓
गर्भ निरोधक व उनका चयन	✗	✓	✗	✓	✓	✓
यौन संक्रमण से बचाव	✗	✓	✗	✓	✓	✓
यौन व प्रजनन संक्रमण, HIV व एड्स के विषय में जानकारी	✗	✓	✗	✓	✓	✓
मासिक धर्म स्वच्छता	✓	✓	✗	✗	✓	✓
गर्भावस्था में देखमाल जिसमें शामिल है गर्भकालीन जाँच,उसमें आने वाली जटिलताए प्रसव संबधी तैयारी	✗	✗	✗	✓	✓	✓
जल्द मातृत्व	✗	✗	✗	✓	✓	✓
मानसिक स्वास्थ्यः – (Mental Health)						
किशोर में आने वाली आयु विशिष्ट समस्याएं व उनका इलाज	✓	✓	✓	✓	✓	✓

बातचीत के विषय	किशोरियां		किशोर		विवाहित	अन्य लक्षित समूह
	10 – 14	15 – 19	10 – 14	15 – 19		
क्षति एवं हिंसा (Injury & Violence)						
लिंग भेदात्मक हिंसा	✓	✓	✓	✓	✓	✓
नशावृत्ति (Substance Misuse)						
नशावृत्ति व उसके दुष्परिणाम और उसका निवारण	✗	✓	✗	✓	✓	✓
असंक्रामक बिमारियाँ (Non Communicable Diseases)						
किशोरों की सामान्य असंक्रामक बिमारियाँ व उनका निदान	✓	✓	✓	✓	✓	✓
व्यायाम व स्वस्थ जीवन शैली	✓	✓	✓	✓	✓	✓
व्यक्तिगत स्वच्छता	✓	✓	✓	✓	✓	✓
अन्य (Other)						
मित्रता क्लीनिक का महत्त्व व उसमें प्रदान की जाने वाली सेवाएं	✓	✓	✓	✓	✓	✓

रैफर करने के लिए किशोरों की पहचान

किशोर दिवस पर निम्नलिखित समस्याओं से ग्रसित किशोरों को मित्रता क्लीनिक पर चिकित्सीय सेवाओ व परामर्श के लिए रैफर करें

★ कम या ज्यादा BMI वाले किशोर
★ मध्यम अथवा गभीर अनीमिया वाले किशोर
★ गर्भवती किशोरियाँ
★ यौन एवं प्रजनन संक्रमण के लक्षणों से ग्रसित किशोर
★ गंभीर / अति गंभीर मानसिक स्वास्थ्य संबधी समस्याओं वाले किशोर
★ जो किशोर लिंग आधारित हिंसा का शिकार रह हों
★ अंसक्रामक बीमारियों से ग्रसित किशोर

सेवाओं का वितरण और क्रियान्वयन प्रक्रिया

इस भाग में किशोर स्वास्थ्य दिवस के आयोजकों के लिए विषय सूची प्रदान की गई है। यह किशोर स्वास्थ्य दिवस को कार्यान्वित करने में सहायक होगी।

निम्न गद्यांशो में पीयर एजुकेटर, आशा, ए.एन.एम., आंगनवाड़ी कार्यकत्ता और पंचायत सदस्यों को किशोर स्वास्थ्य दिवस पर की जाने वाली गतिविधियों को क्रमशः निर्धारित किया गया है। किशोर स्वास्थ्य दिवस के आयोजन की प्राथमिक जिम्मवारी ए.एन.एम. की होगी।

ए.एन.एम. विषयसूची

किए जाने वाले कार्यो की सूची

- ★ यह सुनिश्चित करें कि किशोर स्वास्थ्य दिवस आयोजन हो और अगर कोई सेवा प्रदाता अवकाश पर हो तो उसके वैकल्पिक का प्रबंध करें।
- ★ प्रदान की जाने वाली सामग्री (IFA, Albendazole, सैनेटरी नैजीकन व गर्भ निरोधक) की उपलब्धता सुनिश्चित करें व देखें कि यह सब किशोर स्वास्थ्य दिवस आयोजन स्थल पर पहले से पहुँच चुके हों।
- ★ यह भी सुनिश्चित करें कि सभी उपकरण, दवाईयाँ एवं अन्य सामग्री समयोचित एवं अपने स्थान पर पहुँच गई हों।
- ★ संचार एवं संवाद सामग्री लेकर जाएं।
- ★ मेडिकल अफसर को किशोर स्वास्थ्य दिवस की रिर्पोटिंग सुनिश्चित करें।
- ★ आशा, आंगनवाड़ी कार्याकत्ता व गैर सरकारी संस्थाओं के सदस्य (यदि उपस्थित हो) के साथ समन्वय करें।

पीयर एजुकेटर (पु0/स्त्री) की विषय सूची

किशोर दिवस के पूर्व किए जाने वाले कार्य

- ★ गाँव के सभी घरों में भम्रण करके सभी किशोरों की सूची बनाए।
- ★ जहाँ तक हो सके, विशिष्ट जरूरतों जैसे यौन एवं प्रजनन संक्रमण, कुपोषण, मासिक धर्म स्वच्छता, गर्भनिरोधक आवश्यकता आदि वाले किशोरों को पहचान कर सूची बनाएं।
- ★ ए.एन.एमए/आशा/आंगनवाडी कार्यकर्त्ता/ गैर सरकारी संस्था का किशोर दिवस की तिथि के बारे में सुनिश्चित करें।
- ★ वे अपने समुहों में किशोर स्वास्थ्य दिवस के उद्देश्यों व क्रियाकलापों के विषय में बातचीत करें।
- ★ ये सभी किशोर समूह अपने गांव में अन्य किशोरों का किशोर स्वास्थ्य दिवस के दिन, स्थान व उसके लाभों के बारे में बातचीत करे व उन्हे आने के लिए प्रोत्याहित करें।

किशोर दिवस पर किए जाने वाले कार्य

★ पियर एजुकेटर व उसके समुह में शामिल सभी किशोरों को किशोर स्वास्थ्य दिवस पर उपस्थित होने के लिए प्रोत्साहित करें।

★ वहाँ उपलब्ध सभी सेवा प्रदात्ताओं में अपनी परेशानियों के बारे में प्रदान करने वालों से बातचीत करने के लिए किशोरों को प्रोत्साहित करें

आशा विषय सूची

किशोर दिवस से पूर्व किए जाने वाले कार्यो की सूची

★ पियर एजुकेटरों, गैर सरकारी संस्थाओं, ए.एन.एम व आंगनवाड़ी कार्यक्रर्त्ता से समन्वय करें

किशोर दिवस पर किए जाने वाले कार्य

★ पियर एजुकेटर को सभी किशोरों को किशोर स्वास्थ्य दिवस पर लाने सम्बन्धी दिशानिर्देश दें।

★ ए.एन.एम. व आंगनवाड़ी कार्यकर्त्ता को सहायता करें।

आंगनवाडी कार्यकत्ता विषय सूची

किए जाने वाले कार्यो की सूची

★ **आशा एवं पीयर एजुकेटर को किशाोरों एवं गाँव के अन्य हितधारकों को किशोर स्वास्थ्य दिवस पर लाने में सहायता प्रदान करें।**

★ **आंगनवाड़ी केन्द्र को किशोर दिवस के लिए उपलब्ध करवाना (साफ सफाई का ध्यान परामर्श व स्वास्थ्य जाँच के लिए एकांत सुनिश्चित करें पीने का साफ पानी की व्यवस्था करें**

★ **गैर सरकारी संस्था, पियर एजुकेटर, आशा एवं ए.एन.एम से समन्वय करना**

पंचायती राज़ सम्बन्ध के लिए निर्देश

किए जाने वाले कार्यो की सूची

★ ग्रामीण स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कमेटी के सभी सदस्यों को किशोर स्वास्थ्य दिवस के विषय में समर्थन मनाने मे सहायता व उस दिन उपस्थित होने के लिए समन्वय करना।

★ स्कूली अध्यापकों, पंचायत सदस्यों व अन्य समुदायिक नेताओं से भाग लेने के लिए समन्वय करना।

★ साफ पीने का पानी, समुचित स्वच्छता प्रबन्ध, आंगनवाड़ी केन्द्र तक सुगमता से पहुँचने का मार्ग आदि की व्यवस्था करना।

★ यदि आंगनवाड़ी केन्द्र उपलब्ध न हो तो किशोर दिवस मनाने के लिये समुदाय के अन्य सदस्यों से समन्वय करें और अन्य सामुदायिक स्थान का चयन करें व साथ ही सेवा प्रदान करने वाले सभी सदस्यों को इस बारे में सूचित करें।

मूल्यांकन एवं पर्यवेक्षण

इस भाग में किशोर स्वास्थ्य दिवस के मूल्यांकन के द्वारा सुनिश्चित उपकरण व रिर्पोटिंग सूची पत्र आदि के बारे में दिशा दर्शिका दिए गए हैं। मूल्यांकन के द्वारा राज्य एवं जिलों को यह जांचने में मदद मिलेगी है कि किन स्थानों में कार्य अच्छा हो रहा है कहाँ पर सुधार की आवश्यकता है एवं साथ ही अन्य सुधार के लिए आवश्यक कदम उठाने के बारे में भी पता चलता है।

आंकड़ों का संग्रहण एवं संकलन

किशोर स्वास्थ्य दिवस, किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक प्रमुख घटक है अत: इसके द्वारा राज्य, जिला व ब्लॉक स्तर पर होने वाली सभी कार्यक्रम संबंधी समस्याओं में कार्यक्रम का पूर्ण अवलोकन किया जा सकता है सभी जिला व ब्लॉक को यह रिकोर्ड रखना होगा कि उनके यहाँ कितने किशोर स्वास्थ्य दिवस होने थे और कितने हुए हैं। किशोर दिवस के दौरान, ए.एन.एम. को आंकड़े संग्रहण के लिये एक रजिस्ट्र लगाना होगा। आंकड़े संग्रहण के लिए निचे दिए गए फार्मेट में दी गई है। यह ए.एन.एम. द्वारा हर किशोर स्वास्थ्य दिवस के आयोजन के पश्चात भर कर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लॉक परामर्श दाता के पास जिले के स्तर पर यह आंकड़े माहवार संकलित किए जाने चाहिए। जिलों से यह आंकडे हर तिमाही के अंत में आने वाले महिने में 5 दिनों के भीतर राज्य को भेजने चाहिए।

किशोर स्वास्थ्य दिवस पर एकत्र किए जाने वाले आंकड़े का फॉर्माट

अ: – मूलभूत जानकारी

1: किशोर दिवस तिथि .....2. गाँव का नाम .....3. स्थान.....

4: सेवा प्रदान करने वाले उपस्थित व्यक्तियो के नाम: –

.....मेड़िकल अफसर

..... ए.एन.एम

..... परामर्शदाता

.....( )

.....( )

5. अन्य आयोजक

.....आशा

.....(आंगनवाड़ी कार्यकर्ता स्त्री)

.....(पियर एजुकेटर स्त्री)

.....(पियर एजुकेटर पुरूष)

.....( )

6: किशोर दिवस पर उपस्थित

(1) पंचायत सदस्य :- हां/नही

(2) अन्य गांव स्वास्थ्य एवं स्वच्छता कमेटी के सदस्य :- हां/नही

ख) कार्य क्षेत्र

1. गांव की कुल जनसंख्या .....
2. गांव में कुल किशोर व किशोरियों में से किशोर स्वास्थ्य दिवस में उपस्थित किशोरों की संख्या

किशोरी 10 – 14	स्कूली	कुल जनसंख्या	किशोर दिवस पर उपस्थित
	गैर स्कूली		
किशोरी 15 – 19	स्कूली		
	गैर स्कूली		
किशोर 10 – 14	स्कूली		
	गैर स्कूली		
किशोर 15 – 19	स्कूली		
	गैर स्कूली		
विवाहित किशोर			
कुल संख्या			

ग) सेवाएं

सेवाएं	किशोरियों				किशोर				विवाहित किशोर	अन्य हित धारक	कुल संख्या
	10 – 14		15 – 19		10 – 14		15 – 19				
	IS	DO	IS	DO	IS	DO	IS	DO			
1. BMI की जाँज											
2. अनीमिया की जांच											
3 IFA किशोर की संख्या पाने वाले											
4. एलबैन्ड़ाजोल की गोली पाने वालो किशारों की संख्या											
5. गर्भ निरोधक प्राप्त करने वाले किशोरों की संख्या											

सेवाएं	किशोरियों				किशोर				विवाहित किशोर	अन्य लक्षित समूह	कुल संख्या
	10 – 14		15 – 19		10 – 14		15 – 19				
	IS	DO	IS	DO	IS	DO	IS	DO			
1) निरोध											
2) गर्भ निरोधक गोली											
3) अपातकालीन गर्भ निरोधक गोली											
6. यौन एवं प्रजनन जांच एवं चिकित्सीय सेवा											
7. सैनेटरी नैपकिन पाने वाली किशोरायों की संख्या											
8. IPC /दिशानिर्देश/चर्चा											
a पोषण											
b यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य											
c स्वास्थ्य मानसिक											
d लिंग आधारित हिंसा											
e गैर संचारी बिमारियाँ											
f नशा निवारण											
g परामर्श सेवाएँ											
h पोषण											
I चर्म रोग											
j विवाह के पूर्व परामर्श											
k यौन समास्याए											
l गर्भ निरोधक											
m गर्भपात											
n यौन व प्रजनन संक्रमण											
o नशावृति											
p पठन समस्याएं											

सेवाएं	किशोरियों				किशोर				विवाहित किशोर	अन्य लक्षित समूह	कुल संख्या
	10 – 14		15 – 19		10 – 14		15 – 19				
	IS	DO	IS	DO	IS	DO	IS	DO			
मानसिक दबाव											
अवसाद /उदासीनता											
आत्महत्या की प्रवृति											
हिंसा											
यौन हिंसा											
अन्य मानसिक स्वास्थ्य समास्याएँ											
10.कुल रैफर किए गए किशोरों की संख्या											
मित्रता क्लीनिक पर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए											
मित्रता क्लीनिक पर परामर्श सेवाओं के लिए											
अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं पर											

(**IS** -स्कूल जाने वाले, **DO**-स्कूल न जाने वाले) (अन्य लक्षित समूह -माता पिता, पंचायत के सदस्य, अध्यापक आदि)

घ) टिप्पणियाँ (प्रदर्शन, चुनौतियाँ आदि)

त) हस्ताक्षर

मैड़िकल अफसर		ए.एन.एम	
परामर्शदाता		आशा	
आंगनवाड़ी कार्यकर्ता		पंचायत प्रतिनिधि	
पीयर एजुकेटर (स्त्री)		पियर एजुकेटर(पुरूष)	

आंकड़ों का संकलन ब्लॉक, जिला एवं राज्य स्तरों पर किया जाना चाहिए। निम्न मूल्यांकन सूचना को किशोर स्वास्थ्य दिवस की प्रगति के लिये जांचना चाहिए।

- ★ वर्ष के लिए कुल योजनाबद्व किशोर स्वास्थ्य दिवस मे से आयोजित किशोर स्वास्थ्य दिवस की संख्या व प्रतिशत
- ★ किशोर स्वास्थ्य दिवस पर उपस्थित किशोरों की संख्या व प्रतिशत
- ★ BMI जांच करवाने वाले किशोरों की संख्या व प्रतिशत
- ★ किशोर स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर मित्रता क्लिनिक भेजे गये कुल किशोरो की संख्या
- ★ कुल उपस्थित किशोरों में से किशोर स्वास्थ्य दिवस पर परार्मिशत किशोरों की संख्या व प्रतिशत
- ★ कुल उपस्थित किशोरों में से गर्भनिरोधक प्राप्त करने वाले किशोरों की संख्या व प्रतिशत
- ★ कुल उपस्थित किशोरियों में से सैनेटरी नैपकिन पाने वाली किशोरियों की संख्या व प्रतिशत

निरिक्षण

किशोर स्वास्थ्य दिवस में सुधार के लिए, कार्यक्रम प्रबंधकों को भी (ब्लॉक, जिला व राज्य स्तरों) पर कार्यक्रम स्थल का एवं गतिविधियों का अवलोकन करना चाहिए। प्रदर्श 4.02 निरीक्षण सूचना प्रदान करती है। प्रदर्श 5.01 निर्देशात्मक सहायक निरीक्षण के गतिशील योजना को दर्शाता है।

प्रदर्श 5.01 निरीक्षण सूचीपत्र

उद्देश्य

- ★ इसका उद्देश्य किशोर स्वास्थ्य दिवस की कार्यान्वित स्थिति, आयोजन में रही कमियाँ व होने वाली समस्याओं को जांचना है।
- ★ मार्गादर्शिका के अनुसार नियमित आयोजित होने वाले किशोर दिवस नियम उद्देश्यों को सफतापूर्वक हासिल करने में सहायता करेंगे:
  - ★ किशोर के लिए निदानात्मक एवं उपाचारात्मक मध्यस्थता के क्षेत्रों में सुधार
  - ★ किशोरों एवं अन्य हितधारकों को किशोर स्वास्थ्य के मुख्य अंगो जैसे पोषण, यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य, घाव, तथा हिंसा (लिंगा आधारिता हिंसा) नशा निवारण और असंक्रमण बिमारियों के विषय में जानकारी देना।
  - ★ इसके साथ मित्रता क्लीनिक इत्यादि पर मिलने वाली किशोर स्वास्थ्य संबंधी सेवाओं के बारे में जानकारी देना।

1. आम जानकारी

- ★ आयोजन स्थान – आंगनवाडी / अन्य स्थान (क्या यह अनुकूल है, क्या यह गाँव के मध्य स्थित है)
- ★ आयोजन तिथि –
  - ★ क्या किशार स्वास्थ्य दिवस का कार्यक्रम दर्शाया गया है।
  - ★ क्या किशार स्वास्थ्य दिवस का समय दर्शाया गया है।
  - ★ आयोजन स्थल पर सभी कर्मचारियो जैसे मेडिकल अफसर, ए.एन.एम., आशा, आगनवाड़ी कार्यकर्ता / पंचायत सदस्य / पियर एजुकेटर की उपस्थिति।
  - ★ कितने योजनाबद्ध कार्यक्रमों में से कितने आयोजित किए गए।
  - ★ कार्यकर्ता / पंचायत सदस्य / पियर एजुकेटर (मुक्त) छुट्टी पर गए तो क्या वैकल्पिक प्रबन्ध किए गए।

2. आशा के दस्तावेजों की जाँच

★ क्या उसके पास गांव के किशोरों की नवीन सूची तैयार है

★ क्या उसने सभी किशोरों की विभिन्न श्रेणी यौन पुरूष, महिला, आयु वर्ग: – 10 – 14 वर्ष व 15 – 19 वर्ष, स्कूल जाने वाले, स्कूल न जाने वाले, शादीशुदा किशोरों के हिसाब से सूची बनाई है

★ क्या उसने ऐसे किशोर जिनका किशोर स्वास्थ्य दिवस पर आना आवश्यक है कि सूची बनाई है।

3. किशोर स्वास्थ्य दिवस पर जाँच

ग्राहक

★ किशोर स्वास्थ्य दिवस पर आने वाले किशोरों का प्रतिशत (दस्तावेज जाँचे)

★ क्या काई खास लक्षित समूह है जो बेहद कम संख्या में या बिल्कुल भी किशोर स्वास्थ्य दिवस पर नही आये (कारण जाँचे)

दवाओं और उनकी आपूर्ति

★ IFA गोली, एलबेन्ड़ाजोल, पैरासीटापोल, निरोध, गर्भ निरोध गोली, अपातकालीन गर्भनिरोधक गोली, सैनेटरी नैपकिन, रक्त की जाँच का मीटर (रक्त जाँच के दस्तावेज जाँचे), दस्तानें आदि

उपकरण एवं साधन

★ भार तोलने की मशीन, मापने का फीता

★ क्या परिक्षण मेज/बैड़ स्क्रीन/पर्दा आदि उपस्थित है। क्या किशोरों के स्वास्थ्य जाँच एवं परामर्श के लिए आवश्यक एकान्त उपलब्ध है?

★ स्टैथोस्कोप , रक्तचाप मापने का यंत्र (जाँच करें कि यदि किशोरों की नियमित रक्तचाप की जाँच की जाती है)

★ परामर्श के लिए सूचना, शिक्षण व संचार की सांमग्री

पियर एजुकेटरों (पु.व स्त्री) से उनके किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं रैफरल तकनीकों के बारे में बातचीत

ग्राहक की संतुष्टि

छोड़कर जाते हुए पियर एजुकेटरों से किशोर स्वास्थ्य दिवस पर छोड़ने के कारण एवं प्रदान सेवाओं के विषय में पूछना। सुविधानुसार उन्हे किशोर स्वास्थ्य दिवस पर आने और अगले किशोर स्वास्थ्य दिवस के आयोजन में आवश्यक सुधार के लिए प्रेरित करें।

4. आंगनवाडी कार्यकर्ता एवं पंचायत के सदस्यो से विचार विमर्श करें

5. पठन–लेखन सामग्री :– सामुदाय से पता करें कि किशोर स्वास्थ्य दिवस के आयोजन से पूर्व किशोरों की मांगों व समस्याओं के लिए कोई गतिविधियाँ सुनिश्चित की गई थी। साथ ही यह पता करें कि क्या आशा, ए.एन.एम., आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और पियर एजुकेटरों को अंतर व्यक्तिगत संचार पर प्रशिक्षण हुआ था।

प्रदर्श 5.02:– किशोर स्वास्थ्य दिवस सहायक निरीक्षण गतिशील योजना

जांच करने वाले अधिकारी	जांच की अवधि	निरीक्षण दस्तावेज जमा करवाए	रिर्पोट का समय	रिर्पोट का समय
ब्लॉक नोडल अधिकारी	4 प्रति महिना, 1 हर सप्ताह	जिला नोडल अफसर	क्षेत्र जाँच के 2 दिनों भीतर	15 दिनों भीतर
ब्लॉक कार्यक्रम मैनेजर	1 प्रति महिना	DPM	क्षेत्र जाँच के 2 दिनों भीतर	15 दिनों भीतर
ब्लॉक M&E मैनेजर	1 प्रति महिना (आंकडों की गुनवत्ता जाँच के लिए)	BPM	क्षेत्र जाँच के 1 दिन भीतर	10 दिनों भीतर
जिला नोडल अधिकारी	4 प्रति महिना	राज्य नोडल अधिकारी (AH)	2 दिनों भीतर	15 दिनों भीतर
सी. एम.ओ.	1 प्रति महिना	DPM	5 दिनों भीतर	10 दिनों भीतर
जिला गुणवत्ता आश्वाशन अधिकारी (DQAO)	1 प्रति महिना	जिला नोडल अधिकारी (AH)	2 दिनों में	15 दिनों में
जिला सूचना, शिक्षण व संचारी अधिकारी (DIECO)	1 प्रति महिना	जिला नोडल अधिकारी (AH)	2 दिनों में	15 दिनों में
राज्य नोड़ल अधिकारी(AH)	1 प्रति महिना	निदेशक (स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग)	2 दिनों में	10 दिनों में
अन्य अधिकारी जो सहायक निरीक्षण के लिए जाँच जाएं		निदेशक (स्वास्थ्य व परिवार कल्याण विभाग), जिला सूचना, शिक्षण व संचारी अधिकारी (DIECO),जिला PHN अधिकारी, जिला एम.एन.ई. अधिकारी, निर्देशक (PO), WIFS, ARSH, RBSK & MD (NHM)		

किशोर स्वास्थ्य दिवस के क्रियान्वयन की प्रक्रिया

किशोर स्वास्थ्य दिवस की योजना, क्रियान्वयन व मुल्यांकन के लिये, राज्य स्तर पर एक सांकेतिक क्रियान्वयन प्रक्रिया प्रदर्श 5.03 पर दी गई है और जिले व ब्लॉक/समुदाय स्तर पर क्रियान्वयन प्रक्रिया प्रदर्श 5.04 व 5.05 पर दर्शाई गई है।

प्रदर्श 5.03 राज्य स्तरीय किशोर स्वास्थ्य दिवस क्रियान्वयन योजना

क्रम	गतिविधियाँ	विस्तृत विवरण	संख्या	जिम्मेवारी
1	मार्गदर्शिका का अनुसरण व जहाँ आवश्यक हो बदलाव करें	मार्गदर्शिका को जाँचे व राज्य की आवश्यकताओं के अनुसार अनुसरण करें व जहां अवश्यक हो स्थानीय भाषा में अनुवाद करें	एक बार	राज्य नोडल अधिकारी (AH)
2	किशोर स्वास्थ्य दिवस के दिशानिर्दशों का वितरण करना	अनुवादित किशोर स्वास्थ्य दिवस मार्गदर्शिका को राज्य, जिला, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन इकाई को वितरित करें	एक बार	राज्य नोडल अधिकारी (AH)
3	किशोर दिवस के लिये आर्दश परिचालन कार्यनीति तैयार करें	सीानीय आवश्यकताओं और चुनौतियों को जाँच कर आदर्श निर्देश कार्यनीति तैयार करें। यह निर्देशिका किशोर स्वास्थ्य दिवस की मार्गदर्शिका पर ही आधारित होनी चाहिए। साथ ही यह कार्य क्रम प्रबंधन इकाई और अन्य स्वास्थ्य विभागों (जैसे MH, CH, FP, NCD, IEC) आदि के साथ परामर्श करें	एक बार	राज्य नोडल अधिकारी (AH)
4	अभिसरण मीटिंग (समन्व्य बैठकें)	स्वास्थ्य विभाग (MH, CH, FP, आदि) तथा बाह्य विभाग (WCD आदि) के साथ किशोर स्वास्थ्य दिवस के लिये समन्व्य बैठकें करें	त्रैमासिक	डायरेक्टर स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
5	किशोर स्वास्थ्य दिवस की कार्य योजना के लिए परामर्श एंव परीक्षण	दिशा निर्देशों व आदर्श निर्देशिका के आधार पर सी.एम.ओ.व जिला कार्यक्रम प्रबंधक कमेटी को क्रियान्वयन व निरिक्षण सम्बन्धी प्रशिक्षण	एक बार (विभिन्न चरणों में)	राज्य नोडल अधिकारी (AH)

क्रम	गतिविधियाँ	विस्तृत विवरण	संख्या	जिम्मेवारी
6	विस्तृत कार्य योजना तैयार करें	जिला व हित आधारकों के साथ मिलकर किशोर दिवस की विस्तृत कार्य योजना तैयार करें। कार्य के लिए मुख्य जिले चुने, पूर्ण राज्य में चरणों में कार्य करे ,स्टाफ को प्रशिक्षित करें व कार्य योजना बताये, पठन श्रवण आदि योजना बनाये, सामग्री खरीदने की योजना बताए स्वास्थ्य व अन्य विभागों से समन्वय करें जैसे **WCD** क्रियान्वयन के लिए बजट	वार्षिक	राज्य नोडल अधिकारी (**AH**)
7	सरकारी/आफिस से कार्य योजना के आदेश	**GO/OO** किशोर दिवस को जिला स्तर पर कार्यान्वित करने के लिए जारी किये जाएं।	एक बार (चरण बंद ढ़ग से)	डायरेक्टर स्वस्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
8	पठन/श्रवण सामग्री तैयार करें	पठन/श्रवण सामग्री जिसमें विभिन्न लक्षित समूहों की आवश्यकताओं को लक्षित किया गया तो, बनायें। इसके इलावा लगातार पोस्टर, नए विचारों व दिलचस्प मँच जैसे लधु नाटिका नाटक व वीड़ियो आदि भी बनाएँ	एक बार (वार्षिक समीक्षा)	राज्य नोडल अधिकारी (**AH/IEC** विभाग)
9	उपलब्ध सामग्री का स्रोत	उपलब्ध सामग्री का सोत्त जैसे भी बन सके (**IFA**, गर्भ निरोधक सैनेटरी नैपधिन, भार तोलने की मशीन, परदे आदि)	6 माह में एक बार	राज्य नोडल अधिकारी (**AH**)
10	मूल्यांकन व निरिक्षण	किशोर दिवस का मूल्यांकन या निरीक्षण क्षेत्र जाँच व माहवार मीटिंगों से करे	माह बार	राज्य नोडल अधिकारी (**AH**)
11	आंकड़ा संग्रहण व आंकलन	लगातार जिला स्तर आंकड़ा आंकलन व संग्रहण, राज्य स्तरीय आंकलन व एम.आई.एस. सूचनाक द्वारा रिर्पोट	माह बार/ त्रैमासिक/ वार्षिक	राज्य नोडल अधिकारी (**AH**) राज्य **MIS** अधिकारी

प्रदर्श 5.04 जिला स्तरीय किशोर स्वास्थ्य दिवस क्रियान्वयन योजना

क्रम	गतिविधियाँ	विस्तृत विवरण	संख्या	जिम्मेवारी
1	किशोर स्वास्थ्य दिवस मार्गदर्शिका व आदर्श निर्देशिका कार्य नीति को ध्यान से पढें	राज्य से प्राप्त किशोर स्वास्थ्य दिवस मार्गदर्शिका व आर्दश निर्देश कार्यनीतियों को पढ़ें	एक बार	जिला नोडल अधिकारी (AH CMO)
2	किशोर स्वास्थ्य दिवस पर दी जाने वाली अनुकूलन व अभि-सरण मीटिंग में जाऐं	राज्य द्वारा आयोजित किशोर दिवस पर अनुकूलन मीटिंग में उपस्थित रहें	एक बार	जिला नोडल अधिकारी (AH CMO)
3	किशोर स्वास्थ्य दिवस के क्रियान्वयन के लिए परामर्श एवं अनुकूलन प्रशिक्षण का आयोजन	मार्गदर्शिका के अनुरूप मैड़िकल अफसर, ब्लॉक कार्यक्रम प्रबंधन एकाई को कार्य नीति व मूल्यांकन का प्रशिक्षण दें। साथ ही उनसे मिलकर विस्तृत कार्य प्रणाली बनाएँ	वार्षिक	जिला नोडल अधिकारी (AH CMO)
4	अभिसरण मीटिग	किशोर दिवस में सहायता के लिए स्वास्थ्य विभाग के (CH,FP, MH, आदि) व अन्य विभागों (WCD etc) से अभिसरण मीटिंग करें	त्रैमासिक	CMO
5	जिला कार्य नीति बनाये व जमा करें	किशोर स्वास्थ्य दिवस की जिला स्तरीय विस्तृत कार्य प्रणाली बनाये। स्टाफ को प्रशिक्षण योजना के बारे में बतायें।	वार्षिक	जिला नोडल अधिकारी (AH)
		श्रवण/पठन सामग्री बनाये, सामान के संग्रहण की योजना, कार्य करने का मासिक विवरण (कैलेडंर) स्वास्थ्य व अन्य विभागो से अभिसरण तथा कार्यनीति के लिये आवश्यक धनराशि।		
6	क्रियान्वयन का आफिस आर्डर	सभी एम.ओ. को योजनानुसार किशोर स्वास्थ्य दिवस के आयोजन के लिये आफिस आर्डर दें	एक बार	CMO
7	सामान संग्रहण प्रबंधन	किशोर स्वास्थ्य दिवस से सम्बिन्धित सामान का संग्रहण प्रबंधन बनायें	एक बार	जिला नोडल अधिकारी (AH)

क्रम	गतिविधियाँ	विस्तृत विवरण	संख्या	जिम्मेवारी
8	मूल्यांकन व निरिक्षण	क्षेत्र जांच व मासिक मीटिंगों से मूल्यांवन व निरिक्षण करें	एक बार	CMO/जिला नोडल अधिकारी (AH)
9	आंकड़ा संग्रहण व रिर्पोटिंग	नियमित ब्लॉक स्तर के आंकडों का जिला स्तर पर संकलन व एम.आई.एस. फॉर्मेट पर रिपोटिगं	मसिक/त्रिमाही /वार्षिक	जिला नोडल अधिकारी (AH) जिला MIS अफसर

प्रदर्श 5.05 ब्लॉक/समुदाय स्तरीय किशोर स्वास्थ्य दिवस क्रियान्वयन

क्रम	गतिविधियाँ	विस्तृत विवरण	संख्या	जिम्मेवारी
1	किशोर स्वास्थ्य दिवस मार्गदार्शिका व आदर्श निर्देशिका पुस्तिका को ध्यान से पढ़ें	राज्य से प्राप्त किशोर स्वास्थ्य दिवस मार्गदार्शिका व आदर्श निर्देशिका कार्यनीति को पढ़ें	एक बार	ब्लॉक नोडल अधिकारी (AH/ Mo)
2	किशोर स्वास्थ्य दिवस पर दी जाने वाली प्रशिक्षण मीटिंग में जाएं	राज्य द्वारा आयोजित किशोर स्वास्थ्य दिवस पर अभिसरण मीटिंग में उपस्थित रहें।	एक बार	ब्लॉक नोडल अधिकारी (AH/ Mo)
3	किशोर स्वास्थ्य दिवस की कार्यप्रणाली के लिए परामर्श एवं प्रशिक्षण	मार्गदर्शिका के अनुरूप आशा, ए.एन.एम., आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, पीयर एजुकेटरों, गैर सरकारी संस्था प्रतिनिधियों को कार्य नीति एवं मूल्यांकन का प्रशिक्षण दें। साथ ही उनसे मिल कर विस्तृत कार्य प्रणाली कैलेंड़र बनायें	वार्षिक	ब्लॉक नोडल अधिकारी (AH/ Mo)
4	अभिसरण मिटिंग	किशोर स्वास्थ्य दिवस में सहायता के लिये स्वास्थ्य विभाग व अन्य विभागों से अभिसरण मीटिंग करें।	त्रैमासिक	ब्लॉक नोडल अधिकारी (AH/ Mo)

क्रम	गतिविधियाँ	विस्तृत विवरण	संख्या	जिम्मेवारी
5	सामान संग्रहण एवं प्रबंधन	किशोर स्वास्थ्य दिवस के लिये आवश्यक सामान संग्रहण व प्रंबधन बनाये व जाँचें	एक बार	ब्लॉक नोडल अधिकारी (AH)
6	परामर्श / पठन लेखन आदि योजना	सीानीय उपलब्धता के अनुसार लधु नाटिका आदि संचार के लिए योजनायें बनायें	एक बार	ब्लॉक नोडल अधिकारी (AH)
7	समुदाय नेताओं के साथ अभिसरण मिटिंग की योजना	सामुदायिक नेताओं जैसे पंचायत सदस्य, स्कूल अध्यापक आदि के साथ मिलकर किशोर स्वास्थ्य दिवस की क्रियान्वयन के लिए योजना बनाए	त्रैमासिक	ब्लॉक नोडल अधिकारी (AH/ ANM)
8	किशोर स्वास्थ्य दिवस की कार्य योजना	मार्गदार्शिका आदर्श निर्देश नीति के अनुसार किशोर स्वास्थ्य दिवस की कार्य योजना बनायें	त्रैमासिक	ब्लॉक नोडल अधिकारी (AH/ MO)
9	आंकड़ों का आंकलन व रिपोर्ट	नियमित ब्लॉक स्तर पर आकड़ों का आंकलनं व एम.आई.एस. सूचनाक पर रिपोर्ट	मासिक / त्रैमासिक / वार्षिक	ब्लॉक नोडल अधिकारी (AH/ MIS)

मित्रता क्लीनिक

किशोर व किशोरियों के लिए विशेष सलाह व जाँच सुविधा केन्द्र

(प्रतिदिन अस्पताल के समय अनुसार)

बेटी बचाओ
SAVE THE GIRL CHILD

डायल करो 102,
एम्बुलैंस की सेवा लो

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग, हरियाणा